BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 28th February 2017 | No. 2

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

आम बजट 2017–18

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने दिनांक 01 फरवरी 2017 को आम बजट 2017-18 संसद में पेश किया।

आम बजट की खास बातें

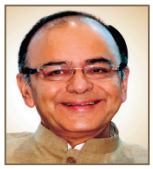

- 50 करोड़ तक के कारोबार वाली लघु एवं मझोले उपक्रमों पर कॉरपोरेट कर की दर घटा कर 25 फीसद की गई। 96 फीसद कंपनियों को लाभ होगा।
- अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.2 फीसद रहने का अनुमान। 2018-19 में इसे तीन फीसद पर रखने का लक्ष्य।
- अचल संपत्ति पर दीर्घ अवधि वाले पूंजीगत लाभ कर के लिए समय सीमा तीन साल से घटा कर दो साल की गई।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्वास्थ्य कार्ड। आठ फीसद गारंटी वाले रिटर्न की योजना।
- विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआइपीबी) को समाप्त किया जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और उदार होगी।
- डिजिटल भुगतान के नियमन के लिए रिजर्व बैंक में भुगतान नियामक बोर्ड बनेगा।
- पाँच साल के लिए एक लाख करोड़ का रेल सुरक्षा कोष। मानवरहित क्रासिंग को 2020 तक समाप्त किया जाएगा।
- मनरेगा के लिए अभी तक का सबसे अधिक 48 हजार करोड़ रुपए का आवंटन।
- राज्यों को आवंटन बढ़कर 4.11 लाख करोड़ रुपए।
- कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1 फीसद रहेगी। पाँच साल में कृषि आय दोगुनी होगी।
- अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए।
- फसल बीमा योजना फसल क्षेत्र का 40 फीसद की गई।
- सस्ते मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा।
- महिला एवं बाल पहलों के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का आवंटन।
- ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.87 लाख करोड़।
- बेघरों के लिए 2019 तक बनेंगे एक करोड़ मकान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 23 हजार करोड़ रुपए।
- मई, 2018 तक सभी गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य।
- अनुसूचित जनजाति के लिए 31,920 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक मामलों के लिए 4,195 करोड़ रुपए।
- सड़क क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ा कर 64 हजार करोड़ किया गया।
- रेल, सड़क जहाजरानी के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए का आबंटन।
- वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 35 फीसद बढ़ कर 1.45 लाख करोड़ रुपए पर। **(जनसत्ता, 2.2.2017)**

केन्द्रीय बजट – 2017–18

सस्ता : एलएनजी, निकल, फ्यूल सेल, बायोगैस मशीनरी, एलईडी लाइट, सोलर पैनल, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, पवन ऊर्जा जेनरेटर, आरओ मेंब्रेन, पीओएस कार्ड रीडर, फिंगर प्रिंट रीडर, स्कैनर, आइरिस स्कैनर, छोटे शहरों का हवाई टिकट, माइक्रो एटीएम, आईआईएम का शुल्क

महंगा : मोबाइल के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, स्मार्टफोन, वाटर फिल्टर, एल्युमीनियम अयस्क, पार्सल से आयात किया गया सामान, आयातित जूते, चांदी से बना सामान, चांदी के सिक्के, सिगार, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, कच्चा तंबाकू, नॉन फिल्टर सिगरेट, जर्दा। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 2.2.2017)**

इस बार आम बजट में रेल विकास के लिए बिहार को मिली 3696 करोड़ की राशि

बिहार के तीन रेलवे स्टेशन पटना साहिब, मुजफ्फरपुर और बक्सर वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में डेवलप होंगे। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत 25 स्टेशनों के लिए 2017-18 के दौरान टेंडर दिए जाएंगे। पुनर्विकास का काम ए-1 एवं ए कोटि के करीब 400 स्टेशनों पर किया जाना है। बजट में पहले चरण में 25 स्टेशनों का पुनर्विकास करने की घोषणा हुई है। इस योजना के तहत मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 4.40 एकड़, बक्सर स्टेशन पर 13.97 एकड़ और पटना साहिब स्टेशन पर 3.40 एकड़ व पटना घाट स्टेशन पर 2.50 एकड़ जमीन चयनित एजेंसी को व्यावसायिक उपयोग के लिए दिया जाएगा। एजेंसी इन स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाएगी।

पूर्व मध्य रेल के जीएम डी० के० गायेन ने बताया कि पॉलिसी के अनुसार जिस स्टेशन के पास पर्याप्त खाली जमीन है, उसका कॉमर्शियल डेवलपमेंट होना है। जमीन रेलवे की ही रहेगी, लेकिन निर्माण व मेंटेनेंस का काम प्राइवेट कंपनियों के जिम्मे होगा। इसके लिए देश-विदेश की कंपनियों को टेंडर में शामिल किया जाएगा। जीएम प्रेसवार्ता में इस बार के बजट में बिहार की रेल परियोजनाओं एवं यात्री सुविधाओं के संदर्भ में जानकारी दे रहे थे।

रेलवे के वेस्टेज से तैयार होगी बिजली : रेलवे के सॉलिड वेस्टेज से बिजली तैयार होगी। इसके लिए पाटलिपुत्र जंक्शन के पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगेगा। इसके लिए धनराशि मिली है।

3696 करोड़ से बिहार में होगा रेल विकास : वर्तमान रेल बजट में बिहार को 3696 करोड़ की राशि मिली है, जो पिछले साल की तुलना में 16.56 फीसदी अधिक है। पिछली बार के बजट में कुल 3171 करोड़ की राशि मिली थी। इस बार रेलवे चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देगा- यात्री सुरक्षा, पूंजी एवं विकास से संबंधित कार्य, स्वच्छता और वित्त एवं लेखा सुधार। पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक कुल 134.5 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। जबकि वर्ष 2017-18 में नई लाइन, दोहरीकरण तथा आमान परिवर्तन को मिलाकर लगभग 347 किलोमीटर निर्माण करने का लक्ष्य है।

2017-18 में लक्षित परियोजनाएं : • हाजीपुर-सुगौली-घोसवर-वैशाली : 30 कि.मी. • निर्मली-सरायगढ़-निर्मली-सरायगढ़ : 20 कि.मी. • कोडरमा-राँची-ताती सिल्वई-सनकी: 31 कि.मी. • कोडरमा-तिलैया-तिलौया-खिरौंद : 25 कि.मी. • इस्लामपुर-नटेसर-इरलामपुर-नटेसर : 21 कि.मी. • टोरी-शिवपुर-टोरी-बालुमांथ-बुकरू : 27 कि.मी. • करनौती-बख्यिारपुर-बाढ़-करनौती-बख्तियारपुर : 4.7 कि.मी.

दोहरीकरण : करनौती-बख्तियारपुर-बाढ़ : 14.20 कि.मी. • सोननगर

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बुलेटिन का यह अंक जब तक आपके हाथों में होगा तब तक राज्य का 2017–18 का बजट भी आ चुका होगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट में 17 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इससे निश्चित तौर पर राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही राज्य के सर्वांगीण विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चयों को कार्यान्वित कराने की दिशा में यह बजट काफी कारगर सिद्ध होगा।

सब कुछ के बावजूद यह बजट अव्वल बिहार की दृष्टिकोण से उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है। हाँ, वर्तमान विकास की गति को बनाये रखने में सक्षम दिखाई दे रहा है। उद्योग जगत के लिये चैम्बर की ओर से 1700 करोड़ रूपये के आबंटन का सुझाव दिया गया है। बजट में इसके विरुद्ध 843 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसे किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। बिहार विकास के लिये लालयित है। इन भावनाओं को बजट में जगह नहीं मिल पाई है। उद्योग जगत के सुझावों को बजट में स्थान नहीं मिल पाया है। उम्मीद से आधी रकम का प्रावधान है। इससे सामान्य गति से विकास सम्भव हो सकेगा।

बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर की वृद्धि के प्रस्ताव पर अंतिम जन सुनवाई भी 27 एवं 28 फरवरी को कर रही है। बिजली कम्पनी ने राज्य के शहरी घरेलु उपभोक्ताओं के लिये सौ फीसदी वृद्धि दर का प्रस्ताव किया है जो 1अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा। हालांकि गत वर्ष वृद्धि नहीं की गयी थी। फिर भी चैम्बर ने आयोग के समक्ष उद्योग व्यवसाय से जुड़े लोगों एवं संगठनों का पक्ष रखा है और पूरी कोशिश की गयी है कि वृद्धि न हो। यदि अनावश्यक वृद्धि हुई तो यह उद्योग एवं व्यवसाय के लिये घातक सिद्ध होगा।

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने निगमायुक्त से मिलकर राजधानी की जन समस्याओं पर उनका ध्यान आकृष्ट किया है। चैम्बर अपनी ओर से जन सुविधाओं के निर्माण एवं रख–रखाव में आवश्यक सहयोग करेगा ऐसा आश्वासन चैम्बर की ओर से दिया गया है। आशा है, आप सब इससे सहमत होंगे।

पिछले बुलेटिन के माध्यम से मैंने सभी सहयोगी व्यावसायिक संगठनों से आग्रह किया था कि वे अपने संगठन की गतिविधियाँ हमें भेजें ताकि हम चैम्बर की बुलेटिन में इसे स्थान देकर प्रान्त के सभी व्यवसायियों को इससे अवगत करा सकें। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी गतिविधियाँ संक्षिप्त और लिखित रूप में चैम्बर कार्यालय को अवश्य भेंजे।

विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी होली मिलन का कार्यक्रम दिनांक 11 मार्च को चैम्बर प्रांगण में आयोजित है। विधिवत् आमंत्रण तो जायेगा ही, इस बुलेटिन के माध्यम से भी मैं आप सबों को सपरिवार पधारने का आग्रह करता हूँ।

आपको एवं आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका ही
पी० के० अग्रवाल

–डेहरी ऑन सोन : 5.76 कि.मी. • रामदयालु नगर–कुढ़नी : 14 कि.मी.

आमान परिवर्तन : • बनमंखी–बिहारीगंज: 28 कि.मी. • सकरी–निर्मली : 51 किसी • सहरसा–सरायगढ़ : 51 कि.मी. • नरकटियागंज–गौहना : 24 कि.मी.

विद्युतीकरण परियोजनाएं : • बख्तियारपुर–तिलैया–मानपुर : 122 कि.मी. • मेरालग्राम–रेणुकूट : 77 कि.मी. • रेणुकूट–चोपन मुजफ्फरपुर–कपरपुरा–कांटी थर्मल प्लांट : 40 कि.मी.

रेलवे शुरू करेगी डोर टू डोर सेवा : लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ सहभागिता कर रेलवे अब अपभोक्ताओं को डोर टू डोर सेवा देगा। यानी ट्रेनों में बुक कराया हुआ माल रेलवे आपके घर तक पहुँचाएगा। लॉजिस्टिक कंपनियां समेकित यातायात सेवा के तहत शुरुआती एवं अंतिम संपर्क सेवा उपलब्ध कराएगी। पूर्व मध्य रेल के फतुहा, नारायणपुर अनंत, कर्पूरी ग्राम, सराय 'लहेरियासराय, रक्सौल, नौगछिया व खगड़िया के गुड्स शेड को इस व्यवस्था के लिए चयनित किया गया है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 3.2.2017)**

पूर्व मध्य रेलवे को मिले कई तोहफे

इस बार के बजट में पूर्व मध्य रेलवे को कई तोहफे मिले हैं। पटना जंक्शन पर अतिक्ति प्लेटफार्म बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। करबिगहिया की ओर तीसरे प्रवेश द्वार को विकसित करने के लिए दस करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 4 व 7 के विस्तार के लिए 5 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि प्रारंभिक कार्यों के लिए है।

छपरा से मुजफ्फरपुर के बीच बनेगी नई रेल लाइन : रेलवे बोर्ड ने छपरा से मुजफ्फरपुर के बीच 84.65 किसी की नई रेल लाइन के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं। मोतीहारी से सीतामढ़ी के बीच 76.7 किसी की रेल लाइन निर्माण के लिए 100 करोड़, मुजफ्फरपुर–दरभंगा के बीच 67 किमी लंबी रेललाइन के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

इसके अतिरिक्त : • नेउरा से शेखपुरा तक रेल लाइन • मुगेर व दीघा में बने पुल के लिए राशि • गया से चतरा तक नई रेल लाइन • दशरथ मांझी के गाँव तक पहुँगी रेल • मुगलसराय–किउल के बीच बनेगी तीसरी रेल लाइन।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 4.2.2017)

पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा

देश के बजट से तात्पर्य वित्त वर्ष के दौरान आय और व्यय के ब्योरे से है। हालांकि यह अनुमानित होता है, जो अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा का निर्धारण करता है।

2017–18 (अनुमानित) : कुल प्राप्ति 21,46,735 : 15,15,771 राजस्व प्राप्ति – 6,30,964 पूंजीगत प्राप्ति **: कुल व्यय 21,46,735 :** 12,01,657 गैर योजनागत, 9,45,078 योजनागत

2016–17 (संशोधित अनुमानित) : कुल प्राप्ति 20,14,407 : 14,23,562 राजस्व प्राप्ति – 5,90,845 पूंजीगत प्राप्ति **: कुल व्यय : 20,14, 407 :** 11, 44, 560 गैर योजनागत – 8,69,847 योजनागत

घाटा : 2017–18 (अनुमानित) : 3,21,163 राजस्व घाटा – 23,454 प्राथमिक घाटा – 5,46,532 वित्तीय घाटा

2016–17 (संशोधित अनुमानित) : 3,10,998 राजस्व घाटा – 51,205 प्राथमिक घाटा – 5,34,274 वित्तीय घाटा **(आंकडे: करोड़ रुपये में)**

रुपया आता है : 19 पैसे निगम कर, 09 पैसे सीमा शुल्क, 16 पैसे आयकर, 14 पैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 19 पैसे उधार एवं अन्य देयताएँ, 03 पैसे ऋण–भिन्न पूंजी प्राप्तियां, 10 पैसे सेवा और अन्य कर, 10 पैसे गैर कर राजस्व।

रुपया जाता है : 05 पैसे वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण, 09 पैसे रक्षा, 10 पैसे सब्जिडी, 10 पैसे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ, 24 पैसे करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, 18 पैसे ब्याज अदायगी, 13 पैसे अन्य व्यय, 11 पैसे केन्द्रीय आयोजना। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.2.2017)**

सूबे की रेल परियोजनाओं को किया दरकिनार

विकास के मामले में पिछड़े बिहार को आमबजट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यह कहना है बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल का। उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत को विशेष फंड की उम्मीद थी, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी है। आम लोगों को भी कुछ हासिल

नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार के लिए घोषित सवा लाख करोड़ रुपये की चर्चा बजट में कहीं नहीं हैं।

वित्तमंत्री ने कहा है कि देश में पाँच विशिष्ट पर्यटन क्षेत्र राज्य सरकार की भागीदारी से विकसित किए जाएंगे। उम्मीद है कि बिहार को भी इसमें शामिल किया जाएगा। रेल बजट पर उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में 1.31 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है जो संतोषजनक है। 25 स्टेशनों के पुनरुद्धार, आइआरसीटीसी के माध्यम से रेल टिकट की बुकिंग को सर्विस चार्ज से मुक्त करने, संरक्षा के लिए विशेष फंड का निर्णय भी स्वागत योग्य है।

हालांकि बिहार की लंबित परियोजनाओं की चर्चा नहीं हुई है। मुगलसराय से झाझा तीसरी रेल लाइन, हरनौत रेल कारखाना, मढ़ौरा डीजल इंजन कारखाना, छपरा में पहिया कारखाना, मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कोई भी घोषणा नहीं हुई है। पटना से शताब्दी, दुरंतो एवं एक अतिरिक्त राजधानी एक्सप्रेस की घोषणा की उम्मीद थी। इससे मायूसी हुई है।

उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण से राहत के लिए कर में अन्य छूट की भी उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई है। एमएसमई सेक्टर की 50 करोड़ तक की टर्न ओवर वाली कंपनियों के कर ढांचे को 30 से 25 फीसद किया गया है, जो सराहनीय है। कैपिटल ग्रेन टैक्स में अब तीन साल की जगह दो साल के समय को लांग टर्म के दायरे में लाना भी स्वागत योग्य है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, कर प्रणाली के सरलीकरण, श्रम सुधार, डिजिटल इंडिया आदि पर बजट में जोर दिया गया है। यह संतोषजनक है। राजनीतिक दलों के कोष को स्वच्छ करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार पे तथा हेल्थ कार्ड की घोषणा भी सराहनीय है। **(साभार : दैनिक जागरण, 2.2.2017)**

बिहार को अव्वल बनाना है तो तैयार करना होगा खास बजट

खास बिहार के लिए खास बजट बनाना होगा। किसी भी प्रदेश का तीव्र विकास उद्योगों के बूते ही हुआ है। बिहार के विकास की कहानी भी यही सैक्टर लिखेगा। जरूरी है कि इस सेक्टर को पर्याप्त धन का आवंटन हो। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए था, जो दिखाई नहीं दिया। बिहार सरकार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बजट भाषण से कई सेक्टरों को निराशा ही हुई है। इसमें उद्योग जगत की प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है। कुछ बातें स्वागत योग्य भी हैं। इससे नई राह निकलने की भी उम्मीद जगी है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल का मानना है कि बजट के कुछ प्रावधान संतोषजनक हैं, कुछ से मायूसी भी होती है। सब कुछ के बावजूद यह बजट अव्वल बिहार की दृष्टिकोण से उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है। हाँ, वर्तमान विकास की गति को बनाए रखने में सक्षम दिखाई दे रहा है।

उद्योग जगत को नहीं मिला पर्याप्त आवंटन : उद्योग जगत के लिए चैम्बर की ओर से 1700 करोड़ रुपये के आवंटन का सुझाव दिया गया है। बजट में इसके विरुद्ध 843 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसे किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। बिहार विकास के लिए लालायित है। इन भावनाओं को बजट में जगह नहीं मिल पाई है। उद्योग जगत के सुझावों को बजट में स्थान नहीं मिल पाया है। उम्मीद से आधी रकम का प्रावधान है। इससे सामान्य गति से विकास संभव हो सकेगा।

लैंड बैंक फिर दरकिनार : बिहार का उद्योग जगत लैंड बैंक की मांग लंबे समय से करता रहा है। इस बजट में उम्मीद थी कि लैंड बैंक के लिए प्रावधान किया जाएगा। बजट भाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं आया। जमीन की कमी की वजह से यहाँ उद्यमी बड़े उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निवेशक भी यहाँ आने से परहेज कर रहे हैं। लैंड बैंक के लिए बहट में प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

नए कदम से खुलेगी नई राह : इस बजट में स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ रुपये के वेंचर फंड का प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप अपने को उद्योग जगत में स्थातित करना चाहते हैं। नई सोच को आजमाना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। फंड की कमी की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस बजट में इस सेक्टर की उम्मीद पूरी हुई है। अब वे अपनी राह पर आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्र का कमोबेश ख्याल रखा गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 28.2.2017)

वर्ष 2017–2018 के वार्षिक आय–व्ययक के लिये माननीय वित्त मंत्री, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 3.02.2017 को आयोजित बजट पूर्व विमर्श के लिये

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा समर्पित ज्ञापन के मुख्य बिन्दु

उद्योग से सम्बन्धित मुद्दे

1. बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने के सम्बन्ध में
2. प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि को On Line Credit करने के सम्बन्ध में
3. बैंकों का नकारात्मक रवैया
4. चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन
5. जॉब वर्क ईकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ दिये जाने के संबंध में
6. उद्योग के उपयोग हेतु भूमि के समुचित उपलब्धता का अनुरोध
7. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की कंडिका-3 के द्वारा राज्य सरकार ने निम्नलिखित उद्योगों को प्राथमिकता के प्रक्षेत्र की सूची में रखा है।
8. आधुनिक प्रयोगशाला
9. रूग्न इकाईयों का पुनर्वास :

9.1 पुर्नवासित रूग्न ईकाईयों को भी औद्योगिक नीति के अन्तगर्त मिल रहे सभी प्रकार के प्रोत्साहनों का पात्र बनाया जाना चाहिए।

9.2 रूग्न ईकाईयों के पुर्नवास की प्रक्रिया में यदि मैनेजमेन्ट बदल भी जाती है तो ऐसी स्थिति में बियाडा द्वारा निर्धारित जमीन के अद्यतन दर पर लगने वाले Transfer मिम को समाप्त किया जाना चाहिए।

10. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया को निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किये जाने की आवश्यकता है। अत: इस नीति के सभी प्रावधानों को 31मार्च, 2017 तक लागू कराने की व्यवस्था की जाये।
11. वैसे सभी उद्योग जो सूक्ष्म उद्योग (Micro Industry) की श्रेणी में आते हैं तथा वैसे सभी उद्योग जो Pollution Free Industry की श्रेणी में आते हैं उनको Consent लेने की बाध्यता से मुक्त किया जाना चाहिए।
12. औद्योगिक भूखंड के MVR के संबंध में
13. राज्य के सभी जिलों में उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में
14. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिये जा रहे ''सहमति शुल्क'' में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में
15. उद्योंगों के खिलाफ FIR दाखिल करने के दुरूपयोग के सम्बन्ध में ।
16. राज्यस्तरीय Clarification Committee के गठन के संबंध में

वैट से संबंधित मुद्दे

17. वाणिज्य-कर की नीतियों से संबंधित समस्याएँ:-

17.1 VAT प्रतिपूर्ति के संबंध में

i. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011 के अन्तर्गत उद्योग को वैट प्रतिपूर्ति वाणिज्य-कर विभाग द्वारा किया जाता है। इसकी निधि उद्योग विभाग से वाणिज्य-कर विभाग को प्राप्त होता है। इस वर्ष में उद्योगों को प्रतिपूर्ति हेतु यथेष्ट निधि ससमय उद्योग विभाग से प्राप्त करने का अनुरोध है जिससे उद्योगों को वैट प्रतिपूर्ति ससमय त्रैमासिक स्तर पर सुनिश्चित हो सके । हम इस ओर भी आपका धयान दिलाना चाहेंगे कि कई बार निधि रहने के बावजुद पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण Balance राशि स्वेम हुई है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो Fund आए वह Lapse न हो।

ii. उद्योगों को वैट प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु वांछित Software विकसित कर इसे व्दसपदम लागू करने की कार्रवाई की जाय ताकि पूरी प्रक्रिया शीघ्रता से सम्पन्न हो सके एवं पारदर्शी भी रहे।

iii. हमारा आग्रह है कि VAT प्रतिपूर्त्ति (Reimbursement) के स्थान पर इसके सामंजन (Adjustment) की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए क्योंकि VAT प्रतिपूर्ति में कफी समय लगता है। वर्तमान प्रक्रिया में व्यवसायियों को पहले VAT जमा करना पड़ता है उसके बाद जमा किए हुए VAT की प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य-कर विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है जिससे विभाग एवं व्यवसायियों का बहुत समय व्यर्थ जाता है ।

17.2. i. विभागीय अपीलीय न्यायालयों/प्राधिकारों के समक्ष बिहार वित्त अधिनियम 1981 से सम्बन्धित
लम्बित वादों को निष्पादित करने के लिए जो One Time Settlement (OTS) योजना लाई गयी है उसकी अवधी का विस्तार किया जाये अथवा नयी OTS योजना लागू की जाये जिससे दोनों पक्षों को अनावश्यक खर्चे एवं परेशानी से बचाया जा सके तथा सरकार को भी विवादित राजस्व के मद में राशि की प्राप्ति हो सके।

ii. अपील दायर करने के लिए माँग का 20 प्रतिशत जमा करना होता है, जिसे समाप्त करना चाहिए।

17.3 Accumulated Input Tax Credit का रिफंड किया जाना चाहिए।

17.4 अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त राजस्व को मुख्य राजस्व से अलग कर दिखलाया जाना चाहिए क्योंकि अर्थदण्ड कर वसूली का हिस्सा नही है। अधिकारी महज अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कई बार मामुली त्रुटियों के लिए अर्थदण्ड लगा देते हैं जो कि बाद में अपील में निरस्त हो जाता है। अत: अर्थदण्ड को मुख्य कर से अलग कर देने पर एवं उसे कर वसूली का हिस्सा नही माने जाने पर अधिकारियों द्वारा ऐसे गलत अर्थदण्ड शासित नही किये जायेंगे।

18. घोषणा-पत्र से संबंधित समस्याएँ

18.1 राज्य के अन्तर्गत माल परिवहन हेतु लागू घोषणा प्रपत्र D-VIII के जनित होने में व्यवसायी वर्ग को होने वाली कठिनाईयों के संबंध में समय-समय पर आपका ध्यान दिलाया जाता रहा है एवं आपने इसमें काफी सुधार करने की कृपा की है परन्तु अभी भी इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में हम निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं :-

(i) घोषणा प्रपत्र की वैद्यता 100 किलोमीटर की दूरी के लिए अभी मात्र 36 घंटे का प्रावधान है इसे बढ़ाकर 144 घंटे किया जाना चाहिए।

(ii) घोषणा प्रपत्र की वैधता अवधि को 144 घंटे से अधिक होना चाहिए।

(iii) D-VIII जनित करने के बाद रद्द करने की अवधि सिर्फ 2 घंटे है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।

(iv) ट्रांसपोर्टर डिटेल भरने की सुविधा ट्रांसपोर्टर एवं व्यापारी दोनों के पास होनी चाहिए।

18.2 ऐसे व्यवसायी जिनका सकलावर्त्त करोड़ों में है एवं जिनके द्वारा वार्षिक कर भुगतान रुपये 2 या 3 करोड़ से अधिक किया जाता है, को प्रपत्र D-VIII के निर्गमन से विमुक्त किये जाने की माँग की गई।

18.3 केन्द्रीय प्रपत्र "C" एवं "F" में हुई त्रुटियों के सुधार हेतु वाणिज्यकर-विभाग द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को अधिसूचना जारी की गयी थी जिसकी अवधी दिनांक 09 फरवरी, 2017 को समाप्त हो जायेगी। अनुरोध है कि कृपया इस अवधी को 31 मार्च, 2017 तक विस्तारित किया जाये।

18.4 Right to Public Service Act-2011 के तहत 7 दिनो के अंदर प्रपत्र 'C' & 'F' उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि प्रपत्र 'C' & 'F' एक समय सीमा के अंदर प्राप्त हो सके।

19. **चेकपोस्ट से संबंधित :** कई बार वाहन के चेक-पोस्ट पर पहुँचने पर पता चलता है कि वाहन पर लदे माल की ''सुविधा'' पूर्व में Approve हो चुकी है एवं वाहन Detain कर लिया जाता है। इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इस हेतु आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए।

20. केन्द्र सरकार ने देश भर में 1 जुलाई, 2017 से GST के क्रियान्वयन करने का निश्चय किया है। यदि इसी तिथि से GST लागू की जाती है तो व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम तिमाही के लिए वैट में एवं शेष तीन तिमाहियों के लिए GST में Returns दाखिल करने होंगे तथा Assessment कराना होगा। अत: आपसे अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में प्रथम तिमाही 2017-18 को वित्तीय वर्ष 2016-17 के साथ सम्मिलित कर वार्षिक विवरणी एवं Assessment के प्रावधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

21. सरकार के निर्देश के अन्तगर्त व्यवसायियों द्वारा VAT से GST में Migration कराया जा रहा है। हमारा अनुरोध है कि VAT Act में लंवित सभी प्रकार की Proceedings को अधिकतम 1 वर्ष की तय समय सीमा में पूरा कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

22. राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों को उच्च वैट संग्रहण तथा कर संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए भामा शाह सम्मान से पुरस्कृत किया जाता था। गत् कुछ वर्षो से यह सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसे पुन: चालू कराया जाना चाहिए।

23. उद्योगों को Compounding की सुविधा

विद्युत से सम्बन्धित मुद्दे

24. समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना

25. राज्य की ऊर्जा की मांग 3000 MW आंकी गई है। केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 1800 MW विद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1000 मेगावाट कम बिजली ही उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 3500 MW पर MMG Charge किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।

26. **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तगर्त Covered औद्योगिक ईकाईयों को MMG/AMG से छूट**

26.1 राज्य की सभी औद्योगिक ईकाईयों को MMC/MMG/AMG से छूट मिलनी चाहिए। अन्यथा जो ईकाई पूरा उत्पादन नही कर पाती है वो इस बोझ को वहन नही कर पाती और बन्द हो जाती है। यह सुविधा 2006 एवं 2011 की प्रोत्साहन नीति के अन्तगर्त उद्योगों को प्राप्त थी।

26.2 किसी भी औद्योगिक उपभोक्ता द्वारा जितनी विद्युत Consume की जाती है उसी के अनुरूप उस उपभोक्ता पर भुगतान देय होना चाहिए।

27. औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक हब, आगामी आद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि हेतु Dedicated Power Sub-Station होना चाहिए जिससे की उद्योगों को बिजली की समस्या न हो। हम यहाँ यह भी कहना चाहेंगे कि वाणिज्य एवं उद्योग को बिजली हेतु प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि वो बिजली के बिल का भुगतान ससमय करते हैं जिससे राज्य के राजस्व में इजाफा होता है।

28. Distribution Company को अपनी सारी ऊर्जा जो बिजली आपूर्ति करते हैं उसकी proper metering करके उसकी कीमत वसूलने में लगाना चाहिए। यहाँ सरकार के तरफ से Distribution Company को जितने भी पैसे मिलते है उसको जो BERC द्वारा Allowed T & D Loss है उससे अधिक जो T & D Loss होता है उसी को compensate करते हैं। यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि BERC द्वारा 21-22% T & D Loss रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन Distribution Company जो आँकड़े देती है और T & D Loss 46-47% बताती है। इस स्थिति में बिजली खरीद का आधा तो ऐसे ही घाटे में चला जाता है एवं सिर्फ आधी बिजली का billing हो पाता हैं। जो Extra T & D Loss है उसकी भरपाई सरकारी या यूँ कहें की जनता के पैसों से होती हैं। इस पर सख्ती से अमल करके T & D Loss को निर्धारित मानक तक रखने की उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नही होना चाहिए कि सरकार से पैसे तो मिल ही रहे हैं इस स्थिति में T & D Loss का Control ही छोड़ दें। T & D Loss को कम करने हेतु 100% metering करने की आवश्यकता है।

29. बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे स्थानों पर हैं कि उन्हें पूरी बिजली नही मिल पाती है परन्तु Distribution Company जो हर माह बिल देती है उसमें पूरे महीने का Demand Charge per month के हिसाब से जोड़

देती है चाहे औद्योगिक ईकाईयों को पूरी बिजली मिली हो या न मिली हो जिसके चलते उन्हें बिजली बहुत महँगी पड़ती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है जैसे:- (i) उत्पादन का भारी नुकसान (ii) बिजली की लागत प्रति यूनिट 20/- रुपये से भी ज्यादा (iii) डीजल जेनरेटर सेट का उपयोग करके बिजली की जरूरतों को पूरा करना जो कि बहुत महँगी पड़ती है।

इसलिए यहाँ पर यह जरूरी है कि औद्योगिक ईकाईयों को जितनी देर बिजली मिलती है उतनी ही देर के हिसाब से Demand Charge Bill देना चाहिए। यहाँ हम यह यह भी सुझाव देना चाहेंगे कि Fix Charge का झगड़ा खत्म करने के लिए इसको Per Month basis से हटाकर Per Hour basis पर कर देना चाहिए।

30. कुछ बड़े उपभोक्ता Power Exchange के तहत सीधे बिजली खरीदना चाहते हैं इसके लिए Open Access Policy का प्रावधान है । परन्तु जो Tariff का प्रणाली है उस प्रणाली में उपभोक्ता Open Access से बिजली नहीं ले पाते हैं। Open Acess Policy-Tariff में आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए Demand Charge को हटाना चाहिए एवं बिजली का रेट सिर्फ Unit Charge करना चाहिए।
31. राज्य में उद्योग एवं वाणिज्य के लिए बिजली की दर अन्य राज्यों के समकक्ष होना चाहिए। घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाले सब्सिडी की भरपाई उद्योग एवं व्यापार जगत से नहीं किया जाना चाहिए। राज्य में उद्योगों की कमी है और जो उद्योग हैं उनमें से ज्यादातर उद्योग MSME सेक्टर में आते हैं। वैसे उद्योगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उच्च बिजली श्शुल्क का भुगतान कर सके जिससे कि घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी की भरपाई हो सके।
32. कुछ उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान सीजनल हैं जिनकी सीजन के समय ऊर्जा की खपत अधिक होती है एवं कुछ समय बहुत कम। सिक्योरिटी डिपोजिट की गणना साल में दो बार छ: महीने की खपत के हिसाब से किया जाता है। इस तरह के उपभोक्ताओं की गणना एक बार काफी अधिक आता है दूसरी बार बहुत कम आता है। इसमें काफी परेशानी आती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए साल में दो बार छ:-छ: महीने पर गणना होनी चाहिए। परन्तु उसमें पिछले पूरे एक साल के विद्युत विपत्र के आधार पर सिक्योरिटी डिपाजिट की गणना की जानी चाहिए।
33. सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज
34. केन्द्रीकृत उपभोक्ता हेल्पलाईन जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है जिससे उपभोक्ताओं की सभी तरह की शिकायतों का निबटारा किया जा सके। जिसमें बिजली की आपूर्ति और बिलों में सुधार इत्यादि प्रमुख है।
35. वर्तमान में सभी औद्योगिक ईकाईयों को 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिससे उद्योगों को काफी कठिनाई हो रही है। वर्तमान दर के कारण ईकाईयों को 40 पैसे प्रति किलोवाट के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है। GST लागू किये जाने के पश्चात् इस शुल्क का सामन्जस्य भी नही हो पायेगा। अत: अनुरोध है कि विद्युत शुल्क 5 पैसे प्रति किलोवाट की दर से अधिक नही रखा जाना चाहिए।
36. आवास (Housing) एवं शहरीकरण
37. New Building Bye-Laws-Amnesty Scheme
38. लीज होल्ड भूखंड को फ्री होल्ड में परिवर्तित किए जाने की मांग

अन्य मुद्दे

40. व्यवसायियों के कल्याण हेतु ''व्यवसायी कल्याण कोष/Trader Welfare Board" के सृजन/ गठन के सम्बन्ध में।
41. गैस पाइपलाइन
42. महात्मा गाँधी सेतु, पटना एवं राजेन्द्र सेतु, मोकामा
43. हवाई अड्डा
44. समुचित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ICD/Dry Port शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए।

(विस्तृत ज्ञापन चैम्बर में उपलब्ध है)

चैम्बर ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को दी भावभीनी विदाई

प्रधान मुख्य आयुक्त श्री एस० टी० अहमद को शॉल एवं प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में मुख्य नगर आयकर आयुक्त श्री प्रशांत भूषण, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश जैन, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अग्रवाल यशपाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में 23 फरवरी, 2017 को आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त श्री एस. टी. अहमद को भावभीनी विदाई दी गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की।

इस अवसर पर मुख्य आयुक्त आयकर श्री प्रशांत भूषण, आयकर के अधिकारी श्री आर. बी. मिश्रा, श्री सुमित रॉय, श्री कौशिक कुमार दास, श्री संजीब कुमार पॉल, डॉ० प्रताप नारायण शर्मा आदि भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि श्री अहमद साहब 1980 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। इन्होंने आयकर विभाग के विभिन्न पदों पर रहकर कई उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट सेवायें प्रदान की है। इनके कार्यकाल में राजस्व संग्रह में भी काफी बेहतर प्रदर्शन रहा। इसके अतिरिक्त आयकर दाताओं की सुविधाओं में भी काफी प्रगति हुई है। श्री अहमद साहब के साथ चैम्बर का संबंध काफी अच्छा रहा है। इन्होंने चैम्बर के सुझावों को आयकर की दृष्टि से सदैव उचित बताया है। आयकर-दाताओं की समस्याओं के समाधान को श्री अहमद साहब ने प्राथमिकता दी है। हमलोगों ने जब भी व्यवसायियों की आयकर संबंधी समस्याओं को अहमद साहब के समक्ष रखा उसका उचित समाधान उन्होंने बताया। श्री अहमद साहब 28 फरवरी, 2017 को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। चैम्बर अध्यक्ष ने सेवानिवृत के बाद अहमद साहब के स्वस्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना की।

चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन ने अपने संबोधन में कहा कि श्री अहमद साहब की चैम्बर पर सदैव ही कृपा बनी रही है। जब भी राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ बैठक हेतु अहमद साहब से अनुरोध किया, इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर चैम्बर में पधारने की कृपा की साथ ही आयकर संबंधी नई योजनाओं से भी व्यवसायियों को पूर्ण रूपेण अवगत कराया।

महामंत्री ने आगे कहा कि अहमद साहब ने विभिन्न पदों पर रहकर अपनी अलग पहचान बनायी है। अपनी कार्यकुशलता एवं लम्बे अनुभवों के फलस्वरूप बिहार एवं झारखंड के सर्वोच्च प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के पद को इन्होंने सुशोभित किया। इन्होंने न राजस्व वृद्धि पर ही जोर दिया अपितु आयकर धारकों की सेवाओं को और बेहतर बनाने का भी कार्य किया है। श्री शशि मोहन ने अहमद साहब के सुखमय एवं स्वस्थ्य सेवा निवृत जीवन की कामना की।

श्री राजेश खेतान ने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि बिना पूर्व जान-पहचान के मैं अहमद साहब के पास एक बार एक समस्या को लेकर गया था। अहमद साहब ने उसका जो समाधाान किया इसके लिए हम इनके आभारी हैं।

इस अवसर पर श्री एस० टी० अहमद ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं बिहार के उद्यमियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके सहयोग से आयकर विभाग ने अपना लक्ष्य हासिल किया। विशेष कर चैम्बर ने आयकर के साथ मिलकर कई उल्लेखनीय कार्य किया है। बिहार में आयकर जमा करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही है।

सदस्यों को संबोधित करते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस० टी० अहमद। उनकी बाँयीं ओर मुख्य आयकर आयुक्त श्री प्रशांत भूषण। दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं अन्य।

उन्होंने नीति-निर्धारण आदि के क्षेत्र में चैम्बर द्वारा प्रदत्त सुझावों को भी बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि विभाग से मिलने वाली छूट का फायदा आयकर दाताओं को उठाना चाहिए।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने श्री एस. टी. अहमद साहब को प्रतीक चिह्न एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, केन्द्रीय महिला आयोग तथा चैम्बर की सदस्य श्रीमती सुष्मा साहू, कई चार्टेर्ड एकाउन्टेन्ट, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री रमेश गाँधी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल सहित मीडियाबंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

श्री शशि मोहन, महामंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिला

नगर आयुक्त श्री अभिषेक सिंह से विचार-विमर्श करते (बाँयें से) कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, महामंत्री श्री शशि मोहन, अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 25 फरवरी, 2017 को पटना नगर निगम के नगर आयुक्त श्री अभिषेक सिंह से उनके कार्यालय कक्ष में मिला एवं उनका ध्यान पटना नगर से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री शशि मोहन सम्मिलित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि राजधानी पटना में स्थित पुराने कॉलोनियों के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का अनुरोध किया गया जिस पर नगर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि पटना के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक एजेंसी अध्ययन कर रही है जो अपनी रिपोर्ट देगी और उस पर कार्य किया जाएगा। पटना में मच्छर के ज्यादा प्रकोप के कारण नागरिकों को हो रही असुविधा एवं तरह-तरह की बीमारियों पर ध्यान दिलाया गया जिस पर नगर आयुक्त ने बताया कि फॉगिंग पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो रहा है इसलिए निगम की ओर से लार्वा को मारने के लिए पटना के विभिन्न हिस्सों में अवस्थित नालों एवं नालियों में दवा का समुचित छिड़काव कराने पर कार्य चल रहा है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि नगर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि निगम का यह प्रयास चल रहा है कि पटना के विभिन्न कॉलोनियों एवं सोसाइटी में एक-एक कमिटी बनाई जाए। जिससे कि वहाँ की समस्याओं एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों की सहजता से निगम को जानकारी प्राप्त हो जाए और तद्नुसार निगम द्वारा आगे की कार्रवाई किया जाए।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि नगर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि स्मार्ट पटना में चैम्बर को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि निगम चाहता है कि पटना के विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण एवं रख-रखाव में चैम्बर सहयोग करे। जिस पर चैम्बर प्रतिनिधिमंडल की ओर से नगर आयुक्त को आश्वस्त किया गया कि पटना के इन कार्यों में चैम्बर अवश्य योगदान करना चाहता है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में चैम्बर को विस्तृत जानकारी दिए जाने का अनुरोध किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने नगर आयुक्त से अनुरोध किया कि पटना में जो सड़कों का निर्माण किया जाता है उसमें लेवलिंग का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि बहुत सी कॉलोनियों एवं व्यवसायिक स्थलों पर सड़क निर्माण में ऐसा देखा गया है कि सड़क का लेवल उपर होने के कारण बरसात का पानी कॉलोनियों एवं व्यवसायिक स्थलों में प्रवेश कर जाता है जिससे काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि सड़क निर्माण में लेवलिंग का ध्यान रखा जाए।

श्री अग्रवाल ने बताया कि पटना के सौन्दर्यीकरण पर चैम्बर सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श हेतु नगर आयुक्त से चैम्बर पधारने का अनुरोध किया गया जिस पर उन्होंने मार्च के प्रथम सप्ताह में चैम्बर के सदस्यों के साथ बैठक करने की अपनी सहमति दी है।

बिहार महिला उद्योग संघ के 23वें मेले का शुभारम्भ

चैम्बर महिलाओं को बैंक से लोन दिलाने में मदद करेगा – चैम्बर अध्यक्ष

दीप प्रज्ज्वलित कर मेले का शुभारम्भ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर एस.बी.आई. के सीजीएम श्री अजीत सूद, बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा चोपड़ा एवं अन्य।

बिहार में इतनी बड़ी सोच। उद्यमिता की राह पर महिलाओं की यह ऊर्जावान ध्वनि, अद्भुत व सराहनीय है। भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष भी एक महिला ही हैं। ये बातें पाटलिपुत्र मैदान में दिनांक 25.02.2017 को बिहार महिला उद्योग संघ के मेले का उद्घाटन करने के बाद एसबीआइ के सीजीएम अजीत सूद ने कही। मंच का संचालन संघ की सचिव उषा झा एवं पूर्णिमा राय ने किया। मौके पर एसबीआइ के डीजीएम विजय गोयल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

उद्यमिता की राह चलना बेहतर : एसबीआइ के सीजीएम ने कहा कि एसबीआइ बैंकिंग के साथ ही सामाजिक उत्थान के प्रति संवेदनशील है। जीविका के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मदद कर रहा है। नौकरियां कम है, बैंक बिना गारंटी मुद्रा ऋण दे रहा है।

महिला उद्योग संघ है ब्रांड : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं को चैम्बर बैंक से लोन दिलाने में मदद करेगा। अभी हम महिलाओं के लिए कौशल विकास केन्द्र चला रहे हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बिहार इकाई के अध्यक्ष सत्यजीत सिंह ने कहा कि 23 साल के अनवरत सफर के बाद बिहार महिला उद्योग संघ अब एक ब्रांड बन चुक है।

महिलाओं की है अपनी पहचान : बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष पुष्पा चोपड़ा ने कहा कि महिलाओं को कोई बेचारा न समझें। उनकी पहचान है। हर महिला काम और हुनर के बूते आगे बढ़ रही हैं। संघ से 10 हजार महिला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं। सरकार भी हमारी इस बात को समझे और शहर में कही न कही जगह दे। **(साभार : दैनिक जागरण 26.2.2017)**

बिहार चैम्बर के प्रतिनिधियों ने आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक को बताई अपनी परेशानी

पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल 20.2.2017 को आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक एन० पी० टोपनो से मिला। बैंकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर टोपनो का ध्यान आकृष्ट करते हुए बिहार में बैंकों का साख-जमा अनुपात मात्र 41 फीसदी होने पर चिंता जताई गई। जबकि राष्ट्रीय औसत 78 फीसदी है। राज्य में बैंकों का रुख नकारात्मक है और ऋण के लिए लोग परेशान हैं। चैम्बर ने इस आलोक में बैंकों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया।

निजी बैंक उड़ा रहे नियमों की धज्जियाँ : प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बिहार में निजी बैंक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऋण देने की जगह वे अधिक से अधिक डिपॉजिट के एकमात्र लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। निजी बैंकों का जमा-साख अनुपात बेहद खराब है। पिछले दिनों बैंकों द्वारा अपने सर्विस चार्ज को मनमाने ढंग से बढ़ा देने पर भी चिंता जताई गई। नए करेंसी नोट पर कुछ लिखा होने पर बैंक अस्वीकार कर दे रहे है, जो परेशानी का कारण बन रहा है। राज्य के कई बैंक ब्रांच सिक्के स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने

आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री एन० पी० टोपनो से संवाद करते बाँयें से क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन, कार्यकारिणी सदस्य श्री आलोक पोद्दार, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश खेतान एवं अन्य।

कहा कि राज्य सरकार एमएसएमई क्षेत्रों को सुदृढ़ करना चाहती है, परंतु बैंकों की कार्यशैली बाधक है। प्रतिनिधिमंडल में एन० के० ठाकुर मुकेश कुमार जैन, विशाल टेकरीवाल, शशि मोहन, राजेश खेतान व आलोक पोद्दार सम्मिलित थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 21.2.2017)

चैम्बर प्रांगण में हैम रेडियो का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित ब्रिगेडियर रणविजय सिंह, चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं अन्य।

दिनांक 30-31 जनवरी तथा दिनांक 1-2 फरवरी 2017 को प्रो. जी. पी. सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, तक्षशिला एजुकेशन सोसाईटी एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में एक चार दिवसीय फ्री हैम रेडियो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चैम्बर के सभागार में किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 30 जनवरी 2017 को ब्रिगेडियर रणविजय सिंह द्वारा किया गया उक्त अवसर पर चैम्बर के कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल भी मौजूद थे।

कुल 103 प्रशिक्षुओं को जिनमें डी. पी. एस. स्कूल, पटना के विद्यार्थी, एन. सी. सी. कैडेट्स, सिविल डिफेन्स, रेड क्रास, पटना साईंस कॉलेज, ए. एन कालेज, टी. पी. एस. कालेज इत्यादि के विद्यार्थी शामिल थे, को हैम रेडियो का चार दिवसीय थ्योरी सह प्रैक्टिकल का निः शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया । यह प्रशिक्षण पूर्णतः तकनीकी होता है जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैम रेडियो विशेषज्ञ श्री जयंत एस. भिड़े को विशेष रूप से ग्वालियर से आमंत्रित किया गया था। उन्होंने हैम रेडियो की ट्रेनिंग प्रदान की। प्रशिक्षण के उपरान्त सभी प्रतिभागीगण प्रावैधिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हैम रेडियो लाईसेन्स आपरेटर की परीक्षा हेतु तैयार हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 2 फरवरी, 2017 की संध्या को आयोजित किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्री व्यास जी, वाईस चेयरमैन, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेन्ट अथोरिटी थे। इस समारोह के विशिष्ट अतिथिगणों में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के पूर्व

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर। बाँयीं ओर पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल। दाँयीं ओर श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, स्टेट आपदा प्रबंधन प्राधिकार (एक के बाद) एवं अन्य।

कुलाधिपति डॉ. आर. बी. पी. सिंह, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के पूर्व सदस्य श्री के. एम. सिंह थे। इस समारोह में चैम्बर की ओर से श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष तथा डी. पी. एस. स्कूल, पटना के प्रिंसिपल श्री बी. विनोद शामिल थे। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं हैम रेडियो तकनीक के प्रशिक्षण एवं प्रसार हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के पूर्व सदस्य श्री के. एम. सिंह तथा हैम रेडियो विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षक श्री जयंत एस. भिड़े को मानपत्र दिया गया तथा उन्हे शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया।

सीमित संसाधनों में विकसित बिहार सरकार का लक्ष्य

प्री-बजट पर बैठक में सम्मिलित बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल। दाँयीं ओर माननीय वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी। उनकी दाँयीं ओर वित्त सचिव श्री रवि मित्तल, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव श्रीमति सुजाता चतुर्वेदी। बाँयीं ओर प्रधान सचिव उद्योग डॉ. एस. सिद्धार्थ एवं अन्य।

राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों में विकसित बिहार का लक्ष्य तय किया है जो 23 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट में स्पष्ट दिखेगा। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी की अध्यक्षता में दिनांक 3.2.2017 को पुराना सचिवालय के सभाकक्ष में प्री-बजट पर आयोजित बैठक में प्रदेश में विकास की हर संभावनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने वित्तमंत्री को आवश्यक सुझाव भी दिया और मांग पत्र सौंपा।

वित्त मंत्री सिद्दीकी ने बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनको मांगों पर बजट में खास ध्यान दिया जाएगा। सीमित संसाधनों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे 80 फीसद किसानों, मजदूरों, आगे वढ़ रहे युवाओं और सशक्त हो रही महिलाओं के विकास के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने उद्यमियों के सुझाव के आलोक में स्थानीय चाय उत्पादकों की समस्या का समाधान करने के लिए ठोस पहल का निर्देश भी दिया। लैंड बैंक की स्थापना के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों को ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग एवं टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को सशक्त बनाने का निर्देश दिया ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।

बैठक में वित्त आयुक्त रवि मित्तल, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल, उपाध्यक्ष एन० के० ठाकुर कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, सुभाष कुमार पटवारी, राजेश खेतान, अनिल पचिसिया, आलोक पोद्दार, गणेश कुमार खेमका, सुनील सर्राफ आदि उपस्थित थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 4.2.2017)

उद्यमिता की राह पर चलकर सच कर रहीं स्वावलंबन का सपना

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में मिल रहा प्रशिक्षण

बदलती तस्वीर : • घरेलू दायित्व के साथ ही हर किसी में अपने पैरों पर खड़ा होने की ललक • कौशल विकास के बाद अपना उद्यम शुरू कर रही महिलाएं

घरेलू जिम्मेदारी तो रहेगी ही, लेकिन सिर्फ इस रेखा के अंदर ही महिलाओं की दुनिया नहीं है। बाहर भी झांकना चाहिए। उद्यम की राह पर चल कर अपनी जिंदगी संवारने और परिवार को मदद करने में कोई बुराई तो नहीं है। यही सोचकर मैं आगे बढ़ी और अब छोटा ही सही, मेरा अपना उद्यम है। ये सब कुछ कहते हुए ज्योति कुमारी के चेहरे पर संतोष के भाव थे। यह नजीर भर है। बदलाव का फलक बड़ा है। आधी आबादी की बदलती तस्वीर ने हर दिल में कौशल विकास, स्वावलंवन और उद्यमिता की रेखा खींच चुकी है, तभी तो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण लेने के लिए सौ से अधिक लड़कियाँ और महिलाएँ वेटिंग में खड़ी हैं।

1350 महिलाएँ ले चुकी हैं ट्रेनिंग : चैम्बर के इस कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। खास तौर पर यह केन्द्र महिलाओं को हुनरमंद बनाने में जुटा है। नारी सशक्तीकरण के पक्षधर पी. के. अग्रवाल की पहल पर 10 फरवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। वे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी है। यहाँ से 1350 महिलाएँ प्रशिक्षण ले चुकी हैं। ट्रेड का दायरा भी बढ़ा है। पहले सिलाई-कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती थी। बाद में मेंहदी कला ट्रेड में भी प्रशिक्षण शुरू किया गया। इसके बाद कम्प्युटर प्रशिक्षण शुरू किया गया। कम्प्युटर ट्रेंड की शुरूआत केन्द्रीय कौशल

> "यहाँ महिलाओं को विना शुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है। सकारात्मक दृश्य नजर आ रहा है। 100 से अधिक महिलाएँ प्रशिक्षण के लिए वेटिंग में हैं।" **– शशि मोहन,** महामंत्री, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

विकास, उद्यमिता स्वतंत्र प्रभार एवं संसदीय कार्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी ने 14 अप्रैल 2015 की किया।

महिलाओं का खुद का उद्यम : प्रशिक्षण लेने वाली 1350 महिलाओं में से 40 फीसद अब अपना उद्यम खड़ा कर चुकी हैं। अपना खर्च निकालने के साथ ही ये परिवार की भी आर्थिक रूप से मदद कर रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा सिलाई-कढ़ाई का काम कर रही हैं। कुछ मेंहदी कला केन्द्र खोल चुकी हैं। कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएँ नौकरी भी कर रही हैं। जो महिलाएँ आर्थिक रूप से कमजोर थीं, उन्हें चैम्बर की ओर से पुरस्कार के रूप में सिलाई मशीन भी दी गई है जिससे वे अपना काम शुरू कर सकें। अब तक 30 महिलाओं को सिलाई मशीन दी जा चुकी है।

अड़चनों का है मकड़जाल : कौशल विकास की ट्रेनिंग लेने के बाद भी 60 फीसद महिलाएँ अभी अपना काम नहीं कर रही हैं। तरन्नुम परवीन कहती हैं- काम करना चाहती हूँ। लेकिन अभी सफल नहीं हो पाई हूँ। घर-परिवार की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आर्थिक मदद भी आसानी से नहीं मिल पाती है। कौशल विकास पर सरकार का जोर है, लेकिन उद्यम स्थापित कराने पर अभी कम ध्यान है। आर्थिक सहयोग का ढांचा खड़ा करना चाहिए।

(साभार : दैनिक जागरण, 19.02.2017)

कपड़ा उद्योग से बिहार ने लगाई आस

बिहार सरकार ने कपड़ा (गारमेंट) उद्योग को लुभाने के लिए अलग -अलग इलाकों में वस्त्र उद्योग संकुल बनाने की तैयारी की है। इसके साथ ही इस उद्योग से ताल्लुक रखने वाले उद्यमियों को औद्योगिक पार्कों में प्राथमिकता के आधार पर जमीन भी दी जा रही है।

उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई कंपनियों ने इस राज्य में अपनी इकाई खोलने में रुचि दिखाई है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'दूसरे राज्यों की तुलना में हमारी नीतियां काफी अच्छी हैं। यहाँ हम कंपनियों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। हमारे पास आज इस क्षेत्र में बड़ी तादाद में प्रशिक्षित मानव संसाधन है। हमारे पास अच्छा-खासा बाजार भी है, इसीलिए कपड़ा उद्योग के मामले में बिहार में कई दिग्गज कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है।' राज्य सरकार ने इस उद्योग को अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल किया है, जिसके तहत इन्हें दूसरे उद्योगों की तुलना में ज्यादा रियायतें मिलेंगी। इसके तहत राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में निवेशकों को उनकी लागत का 30 फीसदी रकम ब्याज अनुदान के रूप में देने का निर्णय किया है। इसके अलावा, उद्योग विभाग की ओर से उद्यमियों को उनके निवेश का शत प्रतिशत के बराबर कर की प्रतिपूर्ति भी होगी।

राज्य सरकार अब कपड़ा उद्योग के विकास के लिए एक विस्तृत योजना भी बना रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने विशेष संकुलों की स्थापना की जा रही है। सिद्धार्थ ने बताया, 'इन इकाइयों को ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हमने औद्योगिक पार्क में कुछ जमीन इनके लिए चिह्नित कर रहे हैं, जहाँ इन उद्योगों के विकास के लिए विशेष संकुल बनाए जा रहे हैं।' प्रधान सचिव ने कहा, 'कपड़ा उद्योग में ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ बिहार में हैं। यहाँ निफ्ट है, कारीगरों की बड़ी तादाद है।

(साभार : बिजनेस स्टैण्डर्ड, 21.02.2017)

शहर की 40 पुरानी आरा मिलों के लाइसेंस हुए रद्द

• लाइसेंस रिन्युअल के नियम हुए कठिन • वन, उद्योग व वाणिज्य कर विभाग से लेना पड़ता है एनओसी

बिहार बंटवारे के बाद एक तो वैसे ही प्रदेश में लकड़ी उद्योगों को लकवा मार गया है। रही-सही कसर सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसम्बर, 1996 को पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर आरा मिलों के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगाने के आदेश के बाद पूरी हो गयी। दूर-दराज की बात छोड़ दें, राजधानी पटना में 264 आरा मिलें ही चल रही हैं, वे 1996 के पूर्व बने लाइसेंस को रिन्युअल करा कर चल रही हैं। पटना में 40 आरा मिलों के लाइसेंस वन विभाग ने हाल ही में रद्द कर दिया है।

पटना में 264 आरा मिलों से दो हजार से अधिक मजदूर और 500 आरा मिल मालिक जुड़े हैं। कोर्ट फैसले के बाद उनका संकट काफी बढ़ गया है। हाल यह है कि 2010 के बाद पटना में आरा मिलों के लाइसेंस का नवीकरण तक का काम ठप पड़ गया है।

"झारखंड में तो आरा मिलें फल-फूल रही हैं, परंतु बिहार में इस उद्योग को लकवा मार गया है। पर्यावरण बचाने के नाम पर सरकार प्लाइउड व एल्मुनियम के फैंसी किवाड़, चौखट और खिड़कियाँ बनाने को प्रेरित कर रही है। ऐसे में आरा मिल मालिक और मजदूर दूसरे रोजगार करने को विवश है। सरकार को आरा मिल उद्योग को पुनर्जीवित करने पर विचार करना चाहिए।" **– तारिणी शर्मा,** सचिव, आरा मिल एसोसिएशन

पहले लाइसेंस जारी रखने के लिए आरा मिल मालिकों को सिर्फ वन विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे, परंतु अब उन्हें उद्योग और वाणिज्य कर विभाग से भी एनओसी लेना पड़ रहा है। एनओसी न मिलने पर वन विभाग ने पटना की 40 आरा मिलों का निबंधन रद्द कर दिया है।

लकड़ी का इस्तेमाल बंद करने के लिए वन विभाग ने बनाया अरण्य भवन को मॉडल : निबंधन रद्द होने के बाद इससे जुड़े मिल मालिक और मजदूर प्लाइउड या अल्युमीनियम की फैंसी खिड़की-किवाड़ बनाने का काम कर रहे हैं। वन-पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण बचाने के लिए अपने नव निर्मित 'अरण्य-भवन' तक में लकड़ी का कोई खिड़की-किवाड़-चौखट आदि नहीं लगाया है। लाइसेंस नवीकरण कराने की मंशा से 'अरण्य -भवन' पहुँचने वाले आरा मिल मालिकों को वन संरक्षक पूरा भवन भ्रमण करा रहे हैं और उन्हें लोगों से लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करने का टास्क दे रहे हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 20.02.2017)

सर्राफा के समान होगी टीसीएस की सीमा

एक अप्रैल से गहनों पर टीसीएस (स्त्रोत पर कर) की सीमा सर्राफा के समान हो जाएगी। इसका कारण है कि सरकार एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक के गहने नकद खरीदने पर एक प्रतिशत टीसीएस लगा रही है। अभी इसकी मौजूदा सीमा 5 लाख रुपये है।

आयकर कानून में क्या : आयकर कानून के मुताबिक, दो लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगता है। वस्तुओं की परिभाषा में गहने भी आ गए हैं। ऐसे में दो लाख रुपये से अधिक के नकद गहने खरीदने पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगेगा।

क्यों लाया गया था विधेयक : वित्त विधेयक 2017 में आभूषणों पर टीसीएस लगाने की वजह बताई गई है। इसमें कहा गया है कि भारत में घरेलू कालाधन भारी मात्रा में है। इसका सरकार के राजस्व बढ़ाने के प्रयासों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।

इसलिए उठाया गया कदम : आभूषणों की खरीद के लिए पहले कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ऐसे में लोग कालेधन का इस्तेमाल कर ज्यादा से गहने खरीद लेते थे। इसलिए अब आभूषणों को सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है, जिससे इस पर टैक्स लगे।

सरकार के तीन बड़े प्रहार : 1. आठ नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर सरकार ने कालेधन पर सबसे बड़ा प्रहार किया, 2. तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन करने वालों पर 100 फीसदी जुर्माना लगाने का प्रावधान, 3. राजनीतिक दल सिर्फ दो हजार रुपये तक ही नकद चंदा ले सकेंगे। इससे आधिक का चंदा चेक से लेना होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 20.02.2017)**

मुश्किल होगा बिहार के उद्योगों को गति देना

विशेष राज्य का दर्जा अब बीते दिनों की बात है, लेकिन विशेष फंड की बजट में उम्मीद थी। बजट में इसकी चर्चा तक नहीं है। इससे उद्योग जगत मायूस है। जानकारों की राय में बिहार के औद्योगिकीकरण की रफ्तार में तेजी लाना अब बेहद मुश्किल होगा। अपने बूते बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं, और इसके बूते बहुत गति नहीं दी जा सकती है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरह छूट भी नहीं : बिहार के उद्योग जगत को यह भी उम्मीद थी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर बिहार के उद्योगों को भी आयकर में छूट मिलेगी। दरअसल, बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उद्योगों को पूरी तरह से आयकर में छूट दी गई। इसे देखते हुए ही बिहार के उद्योग जगत को भी यह उम्मीद बंधी हुई थी। अगर इस तरह की छूट मिलती तो बिहार में नए उद्योगों के आने का रास्ता साफ हो जाता। यह छूट भी नहीं मिलने से उद्योग जगत मायूस हुआ है।

एमएसएमई छूट का लाभ मिलेगा मामूली : सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम (एमएसएमई) श्रेणी के उद्योगों को बजट में छूट मिली है। नियमानुसार 50 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों को आयकर में पाँच फीसद की छूट मिलेगी। इस समय ऐसी कंपनियों को 30 फीसद आयकर देना पड़ता है। अब इन्हें 25 फीसद ही आयकर देना होगा। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल का मानना है कि बिहार में ऐसी कंपनियाँ कम हैं। यहाँ कॉरपोरेट के दायरे में आने वाली कंपनियों की संख्या कम है, जबकि नन कारपोरेट फॉर्म की संख्या अधिक है। सूबे में काम करने वाले अधिकांश लोग नन कारपोरेट ही हैं। इस तरह से यह पाँच फीसद की छूट भी बिहार के हिस्से में कम ही जाएगी।

चांदी बर्तनों पर अधिभार से बढ़ेगी परेशानी : आम बजट में सराफा

बाजार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। इसके बावजूद बजट सकारात्मक है, क्योंकि नुकसान जैसी बातें नहीं हैं। चांदी बर्तनों पर अधिभार लगा देने से थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। इस समय आभूषण विक्रेताओं को 10 फीसद की दर से कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। उम्मीद थी कि आम बजट में यह दर थोड़ी कम की जाएगी। इसका फायदा भी था। सोने की तस्करी पर अंकुश लगता। साथ ही आभूषणों की कीमत कम होती। बाजार का दायरा बढ़ता और बिक्री बढ़ने से सरकार को अधिक राजस्व मिलता। (दैनिक जागरण, 3.2.2017)

सिर्फ बजट राशि से इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ नहीं

1.2.2017 को पेश किए गए बजट में कई व्यवस्थाओं में ईफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। चार लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। भूमि अधिग्रहण में मुआवजा को कर मुक्त कर दिया गया है। छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ऐसी कई बातें हैं जो अच्छी है। लेकिन नोटबंटी के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लोगों को जो भारी नुकसान हुआ है और आगे भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किए जाने से इसका समुचित और समयबद्ध रूप से लाभ नहीं मिल पाएगा। आई नेक्स्ट ने इस संबंध में विशेषज्ञ से बातचीत की उन्होंने भी इसे सही बताया।

रियल इस्टेट में है गिरावट : नोटबंटी के बाद से सबसे अधिक गिरावट रियल इस्टेट में दर्ज की गई है। इसके बाद से बड़े स्तर पर कई बुकिंग और नए कंस्ट्रक्शन का काम रूक गया। अब बजट में इफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आस जगी है। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिस पर कभी विचार या प्रावधान न करने से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है। इस बारे में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एन. के. ठाकुर ने बात की।

"बजट में कई प्रस्ताव अच्छे हैं, इसके लिए चार लाख करोड़ रुपये आवंटित हैं। लेकिन इसका लाभ सभी तक सुनिश्चित करने के लिए सस्ता और सुगम ऋण उपलब्ध कराना जरूरी है।

– एन. के. ठाकुर, चेयरमैन, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया

सस्ते ऋण की थी उम्मीद : चेयरमैन एनके ठाकुर ने कहा कि बजट में आवासीय ऋण को सस्ता और सुगम करने पर जोर दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस पर कभी विचार नहीं किया गया। जब तक यह नहीं किया जाएगा। अफोर्डेबल घर की बात व्यवहारिक नहीं हो सकती है।

इक्यूपमेंट बैंक बनाया जाए : इंफ्रास्ट्रक्चर में भरी-भरकम खर्च होता है और लागत राशि लंबे समय तक फंसा रहता है। इसमें भारी इक्यूपमेंट की खरीद करनी होती है। सिंगापुर में इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की व्यवस्था है। इसके तहत सरकार इंफास्ट्रक्चर में भारी और महंगे इक्यूपमेंट खरीदती है। ए० के० ठाकुर ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां या संबंधित लोग इक्यूपमेंट रेंट पर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन पूरा होने पर लौटा दिया जाता है। इससे लागत में कमी आती है। काम आसान होता है। यहाँ भी ऐसी व्यवस्था हो।

दूरिज्म कैपिटल करेगा मदद : बिहार पर्यटन की दृष्टि से बेहद मुफीद राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों और लोक कलाओं की भरमार है। एन० के० ठाकुर ने कहा कि यह मांग लंबे अर्से से की जा रही है। यदि इसे घोषित किया जाता है तो अचानक से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव और कामकाज बढ़ेगा।

इंडस्ट्री का दर्जा तो मिले : बिहार में राष्ट्रीय औसत के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत धीमा है। ऐसे में रियल इस्टेट से जुड़े लोगों के सुझावों पर काम करने की जरूरत है। क्रेडाई के सेक्रेटरी जनरल सचिन चंदा ने कहा कि जब तक रीयल इस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक समस्याएँ, विशेष रूप से फाइनेस के सपोर्ट को लेकर समस्याएं बरकरार रहेगी। अन्य उद्योग के लिए जहाँ लोन आठ से दस परसेंट होगा तो इसमें यह 13-14 परसेंट होता है। बिहार में समस्या अधिक है। यहाँ मास्टर प्लान व अन्य मुद्दे हावी हैं।

(साभार : आई-नेक्स्ट, 03.02.2017)

बजट से काफी आशाएँ थीं, पर वे पूरी नहीं हुई

"बिहार को केन्द्रीय बजट से काफी आशाएं थीं, लेकिन इस बार भी बजट में बिहार की घोर उपेक्षा हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार प्रवास के

दौरान की गयी घोषणाओं को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष आर्थिक पैकेज, लंबित परियोजना आदि के लिए राशि का आवंटन जैसी बातें बजट से गायब रहीं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उद्योग को टैक्स होली डे की सुविधा मिलती। इससे निवेशक सूबे में निवेश करने को आकर्षित होते। इससे भी बिहार वंचित रह गया। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष रियायतों की उम्मीद थी, पर यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। कुल मिला कर यह बजट बिहार के लिए अच्छा नहीं है।

– शशि मोहन, महासचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(प्रभात खबर, 3.2.2017)

Biz chamber sends SOS to government

Bihar Chamber of Commerce & Industries members led by chamber president P.K. Agrawal met finance minister Abdul Bari Siddiqui on 3.2.2017 demanding major concessions for industry and trade in the 2017-18 state budget.

The demands included doubling funds for industries, formulation of online crediting for incentives and reimbursements to industries, a separate policy for the tea industry and rehabili-tation package for sick industries.

Agrawal said the chamber had also demanded quality power supply to industrial units and improvement in road connectivity, especially bridges over the Ganga.

The chamber pointed out that during 2016-17, the industries department was allotted more than Rs 788 crore, but the entire amount was not given thanks to which several projects had to be shelved. While demanding an online incentive system for industries, it also stressed that a time frame should be enforced for related petitions under the Right to Service Act.

The chamber accused the banking sector of having a negative perception about Biharis engaged in trade and industries - that they will not return loans. It maintained that banks in Bihar were essentially deposit centres and the credit-deposit ratio of Bihar was lower than the national average.

The chamber members said they want the government to put pressure on banks to increase the flow of loans to entrepreneurs. They also pointed out that tea gardens were coming up in a big way in the Seemanchal area and demanded the state formulate a separate policy. The chamber members said they want the state to announce special incentives to industrial units which create jobs in and outside the state.

The members drew the attention of the government to the acute shortage of land investors face and asked the state to play the role of a facilitator by creating land banks, increasing industrial areas and earmarking land for industries.

The chamber pointed out that the Amritsar-Delhi-Calcutta industrial corridor will pass through Bihar and large chunks of land would be acquired.

The organisation demanded incentives for core industrial sectors identified by the state government in its 2016 industrial policy, such as tourism, food processing, textile, and health care. It pointed out the need for establishing a modern lab to test food products. Currently the state has to send samples outside the state. It called for expansion of industries in all districts by promoting micro, small and medium enterprises.

The members pointed to the steep hike in State Pollution Control Board charges for giving a "consent letter" to industrial units. Previously, it was Rs 6,000 for three years. Now, it is between Rs 25,000 and Rs 55,000 for small industrial units, while medium-scale units' fees have been hiked from Rs 15,000 to between Rs 40,000 and Rs 1.4 lakh. The chamber urged the government to reduce the fees.

The chamber also complained of harassment through false FIRs against industrialists. In cases related to mines, the chamber members said they want FIRs to be lodged only after a report is submitted by the director of mines safety, and in other cases after the report of the Superintendent of Police.

It demanded cut in power rates and reduction in transmission loss rates that industrial units have to compensate.

The business community also urged building low-cost housing and commercial complexes through public-private partnership, rationalisation of circular rate, and a new building bylaw amnesty

scheme.

It also asked the government to form a Trader Welfare Board to give financial relief to traders in distress and said restrictions on movement of heavy vehicles on Rajendra Bridge and Gandhi Setu was causing losses to the government as well as entrepreneurs.

(Source : The Telegraph, 4.2.2017)

50 हजार से ज्यादा किराया लेने पर टैक्स

सरकार ने पाँच फीसदी टीडीएस लगाने का प्रावधान किया बजट में, संशोधन एक जून से लागू किया जाएगा

व्यक्तिगत या हिन्दू संयुक्त परिवार (एचयूएफ) को एक माह या माह के किसी भाग में संपत्ति से किराए के तौर पर 50 हजार रुपये से अधिक आय होने पर पाँच प्रतिशत टैक्स देना होगा।

सरकार ने यह प्रस्ताव बजट 2017-18 में किया है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार आयकर अधिनियम की 194-आईबी में एक नई धारा को जोड़ेगी। यह संशोधन एक जून, 2017 से लागू होगा। इस प्रस्ताव के मुताबिक किराया स्वीकार होने पर ही कर कटौती का आकलन किया जाएगा। यह प्रस्ताव मकान के किराये के तौर पर मिलने वाली अघोषित उच्च आय पर नियंत्रण के लिए है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कोई व्यक्ति या एक हिन्दू अविभाजित परिवार, जो किसी भी वित्तीय वर्ष किराये के माध्यम होने वाली आय पर कर की कटौती के लिए धारा 44 एबी के तहत टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी है। वह आईटी अधिनियम में जोड़ी जाने वाली नई धारा के दायरे से बाहर रहेगा। प्रस्ताव के मुताबिक इसमें कटौतीकर्ता अधिनियम की धारा 203 ए के अनुसार कर कटौती खाता संख्या (टैन) प्राप्त करना जरूरी नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कटौतीकर्ता वर्ष में केवल एक बार कर कटौती के लिए उत्तरदायी होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 3.2.2017)**

तीन लाख से अधिक नकद लेने पर जुर्माना

कालेधन पर अंकुश लगाने के कदम के तहत अब तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। इसके तहत जो व्यक्ति जितनी धनराशि नकद में स्वीकार करेगा, उसे उसके बराबर ही जुर्माना चुकाना होगा।

केन्द्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि यदि आप चार लाख रुपये नकद लेते हैं तो आपको चार लाख का ही जुर्माना देना होगा। इसी तरह 50 लाख नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह कर देना पड़ेगा।

अधिया ने कहा कि यह प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है। नोटबंदी के बाद खातों में कालाधन आया है। अब सरकार भविष्य में इसका सृजन रोकने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बड़े नकद लेनदेन पर निगाह रखेगी। वह नकदी के जरिए संदिग्ध उपभोग के रास्तों को भी रोकेगी।

इन पर नहीं लागू होगा : यह नया नियम सरकार, बैंकिंग कपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा।

पैन नंबर देना जरूरी होगा : राजस्व सचिव के अनुसार, पूर्व में अधिसूचित दो लाख से अधिक के लेनदेन के लिए पैन नंबर देना कायम है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.2.2017)

चैम्बर ने केन्द्र सरकार से चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी कार्यक्रम में सहयोग करने हेतु बजटीय प्रावधान किए जाने का अनुरोध किया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने आम बजट 2017-18 में बिहार में चम्पारण सत्याग्रह की शताब्दी समारोह के आयोजन में केन्द्र की भागीदारी हेतु बजटीय प्रावधान किए जाने का अनुरोध किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि आम बजट 2017-18 के बजटीय भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने निम्न घोषणा की -

''जनता की सेवा करना राष्ट्रपति महात्मा गांधी की आजीवन प्रतिबद्धता थी। हम महात्मा की 150वीं जन्मशती की ओर बढ़ रहे हैं, हम इस समारोह को यथोचित ढंग से मनाने हेतु हरसंभव कदम उठाएंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है। हम इस वर्ष चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को स्मरण उत्सव के रूप में मनाएंगे। भारत सरकार 2017 में साबरमती आश्रम की उपयुक्त तरीके से 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गुजरात सरकार की सहायता करेगी।''

उन्होंने कहा कि चैम्बर ने उपरोक्त सभी बजटीय घोषणाओं का हार्दिक स्वागत किया है। इसके साथ ही चैम्बर की यह स्पष्ट मान्यता है कि भारत सरकार को चम्पारण सत्याग्रह की शताब्दी समारोह में भी अपनी सहभागिता निभानी चाहिए जिससे कि बिहार में यह समारोह पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित किया जा सके।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन् 1917 में ब्रिटिश राज्य के विरूद्ध महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह का प्रारम्भ बिहार के चम्पारण जिले से ही किया था जो कि बाद में देश के विभिन्न भागों में आन्दोलन के रूप में फैल गया।

उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि बजटीय भाषण में गुजरात सरकार को राष्ट्रपिता से ही संबंधित एक कार्यक्रम में केन्द्र सरकार की सहभागिता तथा सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है परन्तु बिहार जो कि सत्याग्रह आन्दोलन की जन्मस्थली रहा है, उसे किसी प्रकार की सहायता दिए जाने की घोषणा नहीं किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि केन्द्र सरकार बजटीय प्रावधान कर चम्पारण सत्याग्रह की शताब्दी समारोह में अपनी सक्रिय भागीदारी करती है तो इस निर्णय से न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के लिए शानदार योगदान की स्वीकारोक्ति होगी बल्कि इसके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के प्रति भी केन्द्र सरकार की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उक्त शताब्दी समारोह के बिहार में भव्य आयोजन से इस प्रदेश के नवजवानों के समक्ष गाँधी जी के उच्च आदर्शों को वर्तमान परिदृश्य में अपनाने एवं व्यवहार में लाने की प्रेरणा दी जा सकेगी।

चैम्बर अध्यक्ष ने सूचित किया कि चैम्बर ने पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से इस हेतु अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, बिहार से भी पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि वे अपने स्तर से भी इस हेतु प्रयास करें।

भारतीय रिजर्व बैंक
Reserve Bank of India

RBI/2016-17/224
DCM (Plg) 3107/10.27.00/2016-17 February 08, 2017
All Banks
Dear Madam / Sir,

Removal of limits on withdrawal of cash from Saving Bank Accounts

Please refer to our circular DCM (Plg) 2905/10.27.00/2016-17 dated January 30, 2017 on the captioned subject.

2. In the wake of withdrawal of Specified Bank Notes (SBNs) since November 09, 2016 Reserve Bank had placed certain limits on cash withdrawals from Savings / Current / Cash credit /Overdraft accounts and withdrawals through ATMs. On a review of the pace of remoneti-sation, Reserve Bank partially restored status quo ante by removing the restrictions on cash withdrawals from Current / Cash credit / Overdraft accounts and ATMs effective January 31, 2017 and February 01, 2017 respectively. However, the limits on cash withdrawal from Savings Bank accounts continued to be in place.

3. In line with the pace of remonetisation, it has now been decided to remove the restrictions on cash withdrawals from Saving Bank accounts (including accounts opened under PMJDY) in a two step process as under:

i. Effective February 20, 2017, the limits on cash withdrawals from the Savings Bank accounts will be enhanced to ₹ 50,000 per week (from the current limit of 7 24,000 per week); and
ii. Effective March 13, 2017, there will be no limits on cash withdrawals from Savings Bank accounts.

4. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(P Vijaya Kumar)
Chief General Manager

सुदृढ़ होगा मुजफ्फरपुर का लेदर हब

उद्योग विभाग ने मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर हब को सुदृढ़ करने का फैसला लिया है। वहाँ चमड़ा उद्योग से जुड़ी इकाइयों का क्लस्टर बनेगा। कामगारों को फूटवेयर डिजाइन की तकनीक से लैस किया जाएगा। राज्य सरकार के अलावा आगरा स्थित सेंट्रल फूटवेयर इंस्टीच्यूट और डीएफआइडी की मदद से चमड़ा उद्योग इकाइयों को विकसित किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में फूटवेयर से जुड़ी इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इन इकाइयों को एक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इनकी सहायता के लिए वहाँ एक फैसिलिटेशन सेंटर की भी स्थापना की जाएगी, जो कामगारों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसके अलावा कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति के लिए वहाँ एक रॉ मैटेरियल बैंक भी खोला जाएगा। बताते चलें कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष लागू की अपनी नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में चमड़ा उद्योग को भी प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र में शामिल किया है।

उद्योग विभाग का मानना है कि प्रदेश में चमड़ा उद्योग के विकास की बेहतर संभावनाएँ हैं। इसी आलोक में मुजफ्फरपुर स्थित लेदर हब को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले नालंदा में चमड़ा उद्योग इकाइयों का एक क्लस्टर बनाने का फैसला लिया जा चुका है। माना जा रहा है कि फूटवेयर प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने से बेहतर रोजगार सृजन भी होगा। **(दैनिक जागरण, 5.2.2017)**

केला फाइबर के लिए 22 उद्योगों को मिली स्वीकृति

बिहार के केला किसानों की आमदनी बहुत जल्द बढ़ेगी। फल लेने के बाद किसान उसके तना (थंब) से भी अच्छी कमाई करेंगे। इनके केले के थंब से फाइबर निकालने, खाद बनाने, पेपर बनाने के लिए 22 उद्योग लगने जा रहे हैं। मार्च-अप्रैल तक ये उद्योग स्थापित हो जाएंगे। जुलाई-अगस्त से इन उद्योगों में फाइबर और खाद बनाने का काम शुरू होगा।

बिहार में केला उत्पादन वाले नौ जिलों में इन उद्योगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। छपरा, भागलपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार के केला उत्पादक किसानों के साथ कार्यशालाएं कर उद्योग विभाग ने उनको केला के थंब से फाइबर, बर्मी कम्पोस्ट, पेपर आदि बनाने का उद्योग लगाने को प्रोत्साहित किया था। विभाग के पास 35 प्रस्ताव आए थे। इनमें से 22 को स्वीकृत कर विभाग प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत बैंक ऋण दिला रहा है। विभागीय पदाधिकारियों का मानना है कि केला के थंब से निकलने वाले फाइबर को जूट के साथ मिलाकर बोरा बनाने के साथ ही, कपड़ा और पेपर बनाने का काम लिया जाता है। इन उद्योगों के लगने पर किसानों के लिए थंब से भी अच्छी कमाई होगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.2.2017)**

बिहटा में 25 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल क्लस्टर

राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति बना रही है, जिसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की संभावना हो। टेक्सटाइल के क्षेत्र में दूसरे उद्योग की तुलना में अधिक रोजगार की संभावना है। इसे देखते हुए उद्योग विभाग राज्य में टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित करने की तैयारी में है। पटना के बिहटा में 25 एकड़ में टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जाएगा, जहाँ एक ही छत के नीचे उद्यमियों को कई तरह की सुविधाएँ दी जाएँगी। क्लस्टर में देश के दूसरे राज्यों में कार्यरत बिहारी उद्यमियों को बुलाने की भी तैयारी है। टेक्सटाइल कंसल्टेंट के रूप में काम करने की जिम्मेदारी आईएलएफएस को दी गई है।

विश्व बैंक ने भी दी अपनी रिपोर्ट : पिछले दिनों बिहार में वस्त्र उद्योग को लेकर विश्व बैंक ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें इस उद्योग में संभावनाएँ और चुनौतियों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में वस्त्र उद्योग में काफी संभावना है। श्रम भी दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ सस्ता है। देश के दूसरे राज्यों के वस्त्र उद्योग में हजारों की संख्या में बिहार के कुशल श्रमिक काम करते हैं। अगर उन्हें बिहार में मौका मिले तो वे वापस आने के लिए तैयार हैं।

भागलपुर के 10 प्रखंडों में अभी चल रहा मेगा हैंडलूम क्लस्टर पर काम : भागलपुर में मेगा हेंडलूम क्लस्टर पर काम चल रहा है। योजना के तहत भागलपुर जिले के 10 प्रखंडों में यह क्लस्टर बनेगा। यहाँ हैंडलूम से बुनाई का काम अधिक होता है। क्लस्टर में बुनकरों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। क्लस्टर में एक डिजाइन स्टूडियो, दो डाई हाउस और प्रोडक्ट डेक्लपमेंट सेंटर बनाया जाएंगा। बुनकरों को मार्केट लींकेज की सुविधा के साथ डिजाइन रिसर्च और इनोवेशन आइडिया में मदद की जाएगी। केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय ने भागलपुर मेगा हैंडलूम क्लस्टर का प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी पटना निफ्ट को दी है। क्लस्टर योजना पर पाँच में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डिजाइन स्टूडियो और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर के निर्माण की जिम्मेदारी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) को दी गई है। **(दैनिक भास्कर, 3.2.2017)**

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बैठक में बिहार को मिली सराहना

विश्व बैंक ने बिहार के सिंगल विंडो सिस्टम को दूसरे राज्यों को भी अपनाने की दी सलाह

बिहार के सिंगल विंडो सिस्टम को विश्व बैंक ने बेहतर नियम मानते हुए इस पर अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही विश्व बैंक के प्रतिनिधि ने देश के दूसरे राज्यों को भी बिहार के सिंगल विंडो सिस्टम को अपनाने की सलाह दी। दिल्ली में हुई केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (डीआईपीबी) की इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बैठक में बिहार को सराहना मिली। विश्व बैंक के आग्रह पर डीआईपीबी कारोबारी सहूलियत पर अमल करने के लिए राज्यों को निर्देश देता है। देश के सभी राज्य उद्योग, सेवा और कारोबारी इकाइयों की स्थापना और इसके संचालन की प्रक्रियाएँ सरल करने की दिशा में अमल करता है। इसके लिए 304 पैमाने निर्धारित किए गए हैं। पूरे देश में कारोबारी सहूलियत के मामले में बिहार की स्थिति सुधर रही है।

क्या है खास बिहार के सिंगल विंडो सिस्टम में : राज्य में उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस क्लियरेंस 30 दिनों में करने को अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय में क्लियरेंस नहीं देने पर उसे स्वत: क्लियर माना जाएगा। आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेजों का स्वत: प्रमाणन स्वीकार किया जाएगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन किया गया है। जिसमें उद्योग, वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन, ऊर्जा, श्रम संसाधन, नगर विकास और आवास और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से किए जाने का प्रावधान किया गया है। **(दैनिक भास्कर, 6.2.2017)**

दो सालों में उद्योग प्रक्षेत्र की सूरत बदलेगा विश्व बैंक

उद्योग विभाग के साथ हुआ है करार, बनेगा निवेश फ्रेमवर्क, सरकार निजी निवेशकों को आकर्षित करेगी

राज्य में उद्योग प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक आगे आया है। दो वर्षों तक राज्य सरकार के साथ मिलकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए माहौल बनाएगा। इस संबंध में उद्योग विभाग के साथ हुए करार के बाद विश्व बैंक ने अपना काम आरंभ कर दिया है। वस्त्र उद्योग को लेकर उसने अपनी रिपोर्ट उद्योग विभाग को सौंपते हुए कहा है कि निवेश के लिए बड़ी कंपनियां बिहार आने से कतरा रहीं हैं। ऐसे में प्रदेश को छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर आगे बढ़ना होगा।

सूत्रों ने बताया कि विश्व बैंक बेहतर संभावना वाले उद्योगों को चिह्नित कर उन्हें विकसित करने की रणनीति तय करेगा। उसके सुझावों पर उद्योग विभाग ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। विश्व बैंक निवेश के लिए अलग से फ्रेमवर्क भी बनाएगा। फ्रेमवर्क के तहत राज्य सरकार निजी निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास करेगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 6.2.2017)**

उपभोक्ताओं को जितनी बिजली दी जा रही, उतना ही शुल्क ले ट्रांसमिशन कंपनी

बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, एसएलडीसी और बिहार ग्रिड कंपनी के प्रस्ताव पर जनसुनवाई की। तीनों कंपनियों ने अपने विभिन्न खर्च के लिए 956.62 करोड़ रुपए (एनुअल रेवन्यु रिक्वायरमेंट) मांगे हैं। आयोग की अनुमति के बाद इन कंपनियों को ये राशि

डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से मिलेगी।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भास्कर शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एआरआर 742.65 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की मांग की। जन सुनवाई के दौरान एसएलडीसी के चीफ इंजीनियर गौतम चौबे ने 6 करोड़ 45 लाख एआरआर स्वीकृत करने की मांग की, वहीं बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड के पदाधिकारियों ने 208.52 करोड़ देने की मांग की। बीआईए के चेयरमैन संजय भरतियां ने कहा कि उपभोक्ताओं को जितनी बिजली दी जा रही है, उतना ही शुल्क ट्रांसमिशन कंपनी को लेना चाहिए। पिछले साल आयोग ने ट्रांसमिशन कंपनी को लॉस घटाने का आदेश दिया था। वहीं, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुभाष पटवारी ने कहा कि कागजी आंकड़ेबाजी कर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क वसूलने की बात कर रही है।

दो दिनों में दर्ज करानी होगी आपत्ति : दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष शक्ति कुमार नेगी ने बीआईए व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से दो दिनों के अंदर लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं, पावर ट्रांसमिशन कंपनी को सात दिनों में इस पर जवाब देने के लिए कहा है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 7.2.2017)

कजरा-पीरपैंती बिजलीघर पर केन्द्र की चुप्पी से राज्य सरकार नाराज

कजरा और पीरपैंती बिजलीघर के निर्माण की स्वीकृति को लेकर केन्द्र की सुस्ती पर बिहार ने नाराजगी जताई है। एक साल बीत जाने के बाद भी केन्द्र ने दोनों बिजलीघरों को लेकर अबतक कोई निर्णय नहीं लिया है। पिछले साल 22 फरवरी को ही दोनों बिजलीघरों को लेकर एमओयू की अवधि खत्म हो चुकी है। हालांकि, चौसा बिजलीघर के लिए राज्य सरकार ने एमओयू की अवधि 17 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दी है।

राज्य में तीन बिजलीघरों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें बक्सर के चौसा के अलावा भागलपुर के पीरपैंती और लखीसराय के कजरा में 660 मेगावाट की दो-दो यूनिटें लगनी हैं। इसमें सैद्धांतिक रूप से बिहार को 85 फीसदी हिस्सेदारी दी गई है। चौसा के लिए सतलज जल विद्युत निगम (एसजेवीएनएल) जबकि पीरपैंती के लिए एनएचपीसी और कजरा के लिए एनटीपीसी से एमओयू किया गया है। चौसा बिजलीघर पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन पीरपैंती-कजरा का काम पूरी तरह ठप है। ऐसा तब है, जबकि इनके लिए बड़ी मात्रा में जमीन अधिग्रहण का काम भी हो चुका है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 3.2.2017)**

ईंट-भट्ठा बनाने से पूर्व सिया से लेनी होगी पर्यावरण की स्वीकृति

एक ओर जहाँ पाँच ब्लॉक में नये ईंट-भट्ठों पर रोक लगा दी गयी है। वहीं, अब जिले में गठित राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा ईंट-भट्ठों पर रोक लगाने के लिए सीमा भी निर्धारित कर दी गयी है। इसके जरिये अब पाँच हेक्टेयर से कम एरिया में ईंट-भट्ठों के लिए पर्यावरण की स्वीकृति डिया और उससे अधिक होने पर सिया द्वारा दी जायेगी। ऐसे में वर्ष 2015 में जहाँ, बिहार में 993 ईंट-भट्टों की पर्यावरण स्वीकृति दी गयी। वहीं, वर्ष 2016 में एक भी ईंट-भट्टे को स्वीकृति नहीं मिल सकी है।

अन्य कई बड़े प्रोजेक्टों, पत्थर खनन व बालू खनन आदि को भी अब पर्यावरण की स्वीकृति कम दी जा रही है। इससे बीते वर्ष 2015-16 में सिया द्वारा जहाँ चारों प्रोजेक्टों को मिलकार 1,320 प्रोजेक्टों को पर्यावरण की स्वीकृति दी गयी। वहीं, वर्ष 2016-17 इसकी संख्या मात्र आठ रही। इसके अलावा वर्ष 2015-16 में 293 बालू खनन परियोजना, 993 ईंट-भट्टा, 22 पत्थर खनन व 12 बड़े प्रोजेक्टों को पर्यावरण की स्वीकृति मिली। वर्ष 2016 में पत्थर खनन के लिए पाँच ही बड़े प्रोजेक्टों को दिया गया है। इन सभी प्राजेक्टों में प्रदूषण कम करने के उपायों को अपनाने संबंधी कार्य किये गये हैं। **(प्रभात खबर, 8.2.2017)**

पाँच नहीं, 12 पर्यटन सर्किट वाला होगा बिहार टूरिज्म

• विकसित करने को बनेगा टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट • देश की नामचीन कंपनियों से मांगा गया प्रस्ताव • प्रोजेक्ट में होगा पर्यटन विकास सुविधाओं और नये सर्किटों के गठन पर जोर • पर्यटन विकास के लिए मास्टर प्लान भी बनवायेगा पर्यटन विभाग

बिहार में मौजूद पर्यटन सर्किट्स : सूफी सर्किट, जैन सर्किट, सिख सर्किट, हिन्दू सर्किट, बुद्ध सर्किट

कितने सर्किट बढ़ाने की है योजना : शिव शक्ति सर्किट, नालंदा-बिहार सर्किट, गाँधी सर्किट, नदी सर्किट, म्युजियम सर्किट, पक्षी बिहार सर्किट, कैमूर वन सर्किट।

बिहार के पर्यटन सर्किट पाँच के बजाय 12 होंगे। पर्यटन सर्किट बढ़ाने पर पर्यटन विभाग गंभीर मंथन कर रहा है। पर्यटन विभाग सूबे में पर्यटन को विकसित करने के लिए 'टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनवायेगा। प्रोजेवट पर विभाग ने 25 करोड़ रुपये खर्च करने का प्लान बनाया है। विभाग ने डेक्लपमेंट प्रोजेक्ट बनवाने के लिए देश की नामचीन कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। इसी 27 फरवरी को 'टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का विभाग टेंडर फाइनल करेगा।

पर्यटन केन्द्र के रूप में बिहार में अमूल्य धरोहरें तो हैं, परंतु इसे पर्यटकीय दृष्टिकोण से महाराष्ट्र-राजस्थान की तरह विकसित नहीं किया गया। ऐसी भी बात नहीं है कि इस संबंध में योजनाएँ नहीं बनी। लेकिन यह पर्यटकों को लुभा नहीं पाया, पिछले वर्ष गुरु गोबिंद सिंह की 350 वीं जयंती पर बिहार में देशी -विदेशी पर्यटकों का जो जन-सैलाब उमड़ा उसके बाद पर्यटन विभाग ने टूरिज्म डेवलपमेंट पर मंथन करना शुरू किया है। पिछले 15 वर्षों में बिहार में देशी-विदेशी पर्यटकों का संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वर्ष 2001 में जहाँ 61.46 लाख देशी-विदेशी पर्यटक आये थे, वहीं 2015 में उनकी संख्या 2.41 करोड़ पहुँच गयी। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। 15 वर्षों में 7.40 करोड़ विदेशी पर्यटक बढ़े हैं। 'टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बनाने वाली एजेंसी बिहार में पर्यटन विकास के लिए मास्टर प्लान भी बनायेगी। मास्टर प्लान में टूरिज्म सिटी के रूप में पटना, नालंदा, राजगीर, भागलपुर, मोतिहारी, कैमूर, गया, बोध गया और सीतामढ़ी को विकसित करने का प्रस्ताव होगा। 'टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स' तैयार करने में कई नामी कंपनियों ने इंट्रेस्ट दिखाना शुरू किया है।

पर्यटन विभाग से बेंगलुरु, कर्नाटक, मुम्बई, जलांधर और लुधियाना की कंपनियों ने टेंडर-फार्म खरीदे हैं। विभाग ने पर्यटन सर्किट का विस्तार करने की योजना पर गुरुगोबिंद सिंह की जयंती के बाद से ही शुरू कर दिया है। विभाग ने पर्यटन विस्तार को ले कर कई विशेषज्ञों से लंबा विमर्श भी किया है। विमर्श में शामिल पर्यटन विशेषज्ञों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों का विकास करने को तो सलाह दी ही है, साथ-साथ उसका प्रचार-प्रसार करने का भी सुझाव दिया है। **(साभार : प्रभात खबर, 5.2.2017)**

31 मार्च तक होल्डिग टैक्स पर ब्याज व जुर्माना नहीं

31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स पर ब्याज और जुर्माना नहीं लगेगा। इस योजना का लाभ वर्षों से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले लोग उठा सकते हैं।

पुराने भवनों के लिए निगम शुल्क से भी पुराने किरायेदारों को छूट मिलेगी। अभी इसके आवासीय के लिए दो हजार तथा कॉमर्शियल के लिए पाँच हजार निर्धारित है। नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि बिहार नगरपालिका संपत्तिकर प्रोसाहन (ब्याज व शास्ति में छूट) योजना के तहत वर्षो से बड़े बकायेदार को यह छूट दी जा रही है। 31 मार्च 2013 तक के बकायेदारों को दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज राशि और निगम शुल्क में छूट दी जा रही है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.2.2017)

दिसम्बर में बिहार आए 54 लाख से अधिक पर्यटक

• पटना फिर रहा अव्वल, यहाँ 9.42 लाख पर्यटक पहुँचे • गया व बोधगया में आए 67 हजार विदेशी पर्यटक

पिछले वर्ष 2016 के दिसम्बर में 54 लाख से अधिक पर्यटकों ने बिहार के दर्शनीय व रमणीय स्थलों का भ्रमण किया। इनमें सवा 12 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। पूरे साल बिहार आने वाले पर्यटकों में यह सर्वाधिक है।

विभिन्न जिलों से आई रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर में 54 लाख 10 हजार 473 पर्यटक बिहार आए। हालांकि इसमें पटना में आयोजित श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव में देश-विदेश आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या शामिल नहीं है। अगर उनकी भी संख्या इसमें जोड़ ली जाए तो इसमें दस लाख से अधिक की वृद्धि होगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.2.2017)**

परामर्श केन्द्र में खुला कॉमन सर्विस सेंटर

छज्जू बाग में बनाए गए निबंधन सह परामर्श केन्द्र में कॉमन सर्विस सेंटर खुला है। यहाँ से 9 तरह की जरूरी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। इन सेवाओं के बदले न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। एक ही छत के नीचे परामर्श केन्द्र में आकर सर्विस सेंटर से अपना काम करवा सकते हैं। इस सेवाओं से संबंधित जानकारी 18003456444 हेल्प लाइन नंबर से ले सकते हैं।

नौ सेवाओं का मिलेगा लाभ

सेवाएँ	शुल्क	सेवाएँ	शुल्क
नया आधार पंजीकरण	मुफ्त में	पैन कार्ड के लिए	₹ 107
बायोमेट्रिक अपडेट	₹ 25	मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भता	₹ 25
डेमोग्राफिक अपडेट	₹ 25	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड	₹ 50
आधार चेक एवं कलर प्रिंट	₹ 20	कुशल युवा कार्यक्रम	₹ 25
आधार ब्लैक एंड व्हाईट प्रिंट	₹ 10		

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.2.2017)

जमीन रजिस्ट्री से पहले देनी होगी पूर्वजों की जानकारी

रजिस्ट्री के वक्त आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जाएगी

जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले निबंधन कार्यालय में पूर्वजों की भी जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्री के वक्त जमीन के नाम पर कटने वाली रसीद, चौहद्दी और जमीन मालिक से रिलेशन की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री के वक्त उसके आसपास के लोगों से भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। इससे जमीन से संबंधित फर्जीवाड़ा रुकेगा।

दाखिल खारिज से पहले जमीन की जाँच के लिए मिलते हैं 45 दिन : जमीन खरीद-फरोख्त के बाद उसमें कोई विवाद ना हो इसके लिए 45 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान जमीन की जाँच की जाती है। इसके बाद निबंधन कार्यालय द्वारा जमीन को सही मानकर रजिस्ट्री को पुख्ता कर दिया जाता है। पहले दाखिल खारिज होने से पहले जमीन के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती थी। नई योजना के तहत जमीन खरीद-फरोख्त के दौरान निबंधन कार्यालय में जमा कागजों के आधार पर आसानी से जमीन के संबंध में जानकारी मिल सकेगी।

ये होगा फायदा : • फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी • सरकार के राजस्व की बचत होगी • दाखिल-खारिज के दौरान होने वाली जाँच में आसानी होगी • जमीन खरीद-बिक्री करने वाले दलाल सही जमीन ही बेच सकेंगे।

"जमीन से संबंधित विवादों को देखते हुए नए नियम बनाए गए हैं। इसके आधार पर जमीन विवाद में कभी होने के साथ ही खरीद-फरोख्त के दौरान होने वाले फ्रॉड को भी रोका जा सकेगा।"

– संजय कुमार अग्रवाल, डीएम, पटना

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 8.2.2017)

चेक और डिजिटल वेतन भुगतान कानून को मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वेतन भुगतान (संसोधन) कानून, 2017 को मंजूरी दे दी है। केन्द्र और राज्य सरकार अब उन औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए नियम और शर्तें जारी कर सकती है जिन्हें अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके बैंक खाता में स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार इस बारे में एक विधेयक को संसद के हाल में संपन्न बजट सत्र के पहले चरण में मंजूरी मिली है। इस कानून के तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक से या उनके खाता में उनकी लिखित अनुमति के बिना भी कर सकते हैं। नए कानून में वेतन भुगतान कानून, 1936 में संशोधन किया गया है। वेतन का भुगतान सिक्का या करेंसी नोट या दोनों में करना अनिवार्य है। 1936 के कानून में संशोधन संबंधी विधेयक को 3 फरवरी को पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति ने 28 दिसम्बर, 2016 को अध्यादेश जारी किया था। यह विधेयक लोकसभा में 7 फरवरी तथा राज्यसभा में उसके अगले दिन पारित हुआ। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.2.2017)**

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

दुकान/ प्रतिष्ठान के लिए नियोजकों/ प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

सभी संबंधितों को इस विज्ञाप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि राज्य में ऑन लाईन निरीक्षण प्रणाली लागू किये जाने के उद्देश्य से बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 एवं नियमावली, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। ऐसे कई दृष्टांत पाए गए हैं जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि राज्य में कई दुकान एवं प्रतिष्ठान बगैर निबंधन के संचालित हैं साथ ही साथ दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के नियोजकों/संचालकों द्वारा श्रम विभाग के पदाधिकारियों को अपेक्षित सहयोग एवं सूचनाएँ भी उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं। बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली, 1955 के नियम 03 के प्रावधानों के अनुसार दुकान एवं प्रतिष्ठान के संचालन की तिथि के 30 दिनों के अन्दर प्रतिष्ठानों का निबधन कराना अनिवार्य है एवं निबंधन पत्र का प्रदर्शन भी अनिवार्य है। अधिनियम एवं नियमावली के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में धारा-34 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अत: पुन: अनुरोध है कि सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के नियोजक / दखलदार अपने दुकान एवं प्रतिष्ठान का ऑन लाईन निबंधन कराने में श्रम विभाग के पदाधिकारियों को वांछित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

नोट : प्रतिष्ठानों के Online निबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी स्थानीय श्रम अधीक्षक कार्यालय या विभागीय बेवसाईट www.bihar.gov.in/services-lrd पर प्राप्त की जा सकती है।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट **www.bihar.in** पर देखा जा सकता है।

ह०/- (गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार

(साभार : टाईम्स ऑफ इंडिया, 5.2.2017)

5 साल में दोगुना हो गया राज्य पर कर्ज और ब्याज

आमदनी व खर्च के साथ लगातार बढ़ रहा कर्ज का दबाव

जैसे-जैसे राज्य की आमदनी और खर्च में बढ़ोतरी होती गई है, राज्य पर कर्ज का दबाव भी बढ़ता गया है। नतीजतन सरकार को ब्याज के मद में अधिक राशि देनी पड़ रही है। पिछले पाँच वर्षों में यह राशि बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है। हालांकि, अभी राज्य पर जो ऋण है वह 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 25% से कम है। वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार पर 88, 829 करोड़ का कर्ज था, जबकि सरकार ने इस दौरान 7098 करोड़ रु० का ब्याज भुगतान किया। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में यह राशि बढ़कर 8179 करोड़ होने की उम्मीद है।

ऋण का बढ़ता दबाव और ब्याज भुगतान (राशि करोड़ में)

वर्ष	ऋण	ब्याज
2011-12	50990	4304
2012-13	57474	4428
2013-14	64262	5459
2014-15	74570	6129
2015-16	88829	7098
2016-17	106009	8179 (संभावित)

ऋण लेने की सीमा : 14 वें वित्त आयोग ने किसी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 25 फीसदी तक राशि ऋण लेने की छूट दी है। वर्ष 2015-16 में बिहार पर 88, 829 करोड़ रुपए का ऋण था, जो जीडीपी का 21.5 फीसदी है।

पिछले पाँच साल में राज्य के राजस्व में 44803 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी : पिछले पाँच साल में राज्य के राजस्व में 44803 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में जहाँ 51320 करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई थी, वहीं 2015-16 में बढ़कर यह राशि 96123 करोड़ रुपए हो गई। जबकि 2016-17 में यह बढ़कर 124590 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इस दौरान कर और दूसरे मदों से प्राप्त राजस्व में भी वृद्धि हुई। वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों में 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो अभी तक का सर्वाधिक है।

राजस्व प्राप्ति में 17706 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। जिसमें 16659 करोड़ यानी 94 फीसदी की वृद्धि अकेले कर राजस्व के कारण हुई। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष कर प्राप्ति में थोड़ा ठहराव आया था, जबकि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद केन्द्रीय अनुदानों में 6562 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। यह वर्ष 2014-15 में वह 19146 करोड़ पहुँच गया था। चालू वित्त वर्ष में कर राजस्व और केन्द्रीय अनुदान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह राशि कर राजस्व के मद में 13718 करोड़ और केन्द्रीय अनुदान में 14577 करोड़ हो सकती है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 25.2.2017)

प्रति व्यक्ति व्यय में राष्ट्रीय औसत छूने के करीब बिहार

विकास का सीधा ताल्लुक मानव विकास है। इस मामले में बीते वर्षों में राज्य ने काफी प्रगति की है। प्रति व्यक्ति विकास व्यय के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत के करीब पहुँच गया है।

बिहार में कृषि में विकास के लिए प्रयास हुए, लेकिन विभिन्न सेक्टरों में अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला। खेती लाभकारी नहीं हो सका। किसानों को खेती में लागत मूल्य से अधिक मूल्य दिलाने का प्रयास भी सफल नहीं हुए। किसानों के उत्पादन का बाजार की व्यवस्था नहीं हुई। इसके बादजूद किसानों को विभिन्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए गए अनुदान और सहायता से अनाज उत्पादन बढ़ा है। पिछले पाँच वर्षों में 40 लाख टन अनाज उत्पादन बढ़ा। उत्पादकता के मामले में 2213 से 2016 के बीच चावल की उत्पादकता में 80 प्रतिशत, गेहूँ में 17.8 और मक्का में 46.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय औसत :	17.1%
बिहार का औसत :	16.4%
इनसे समझें मानव विकास	
मानक	वृद्धि दर
संस्थागत प्रसव :	3.4%
अस्पताल में रोगी :	10%
साक्षरता :	14.8%
स्कूलों में ड्रॉपआउट में कमी :	12.4%
6 वर्षों में बढ़ा 37 लाख टन अनाज उत्पादन	
अनाज का उत्पादन	
2010-11 में 103.52 लाख टन	
2015-16 में 140.87 लाख टन	

(साभार : दैनिक भास्कर, 24.2.2017)

जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय औसत से कम

राज्य का औसत 19% • राष्ट्रीय औसत 30%

कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी औद्योगिक क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग का योगदान 33.6 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 39.5 फीसदी से कम है। राज्य में कृषिगत उद्योगों के विकास की अपार संभावना है। पिछले पाँच साल यानी 2010-11 से 2014-15 के बीच मध्यम श्रेणी की इकाइयों में 315 फीसदी, लघु इकाइयों में 27 फीसदी और अति लघु इकाइयों में 9 फीसदी की वृद्धि हुई है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या 18.4 हजार थी। जिसमें से 14.2 हजार कार्यशील और 5.8 हजार निर्बंधित थी। इस दौरान कार्यशील सहयोग समितियों की संख्या में पिछले वर्ष से 12.7 हजार हो गई।

लगातार बढ़ रहा राज्य का रेवेन्यू सरप्लस : 2011-12 : 4820 करोड़ • 2015-16 : 12507 करोड़

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) में उछाल दर्ज की गई है। वर्ष 2011-12 के मुकाबले 2015-16 में इसमें 7687 करोड़ की बढ़त हुई। राजस्व में इस बढ़ोतरी की बदौलत ही सरकार के पूंजीगत व्यय में 5800 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि करने की गुंजाइश बनी है। राजस्व प्राप्ति में 17706 करोड़ की वृद्धि हुई। इसमें कर राजस्व योगदान 16659 करोड़ रुपए है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 24.2.2017)

Transmission losses bog down Bihar power cos

Bihar's demand for power has shot up from 1,800 MW in July 2013 to 3,854 MW in November 2016, which it has been able to meet through power purchase. The flip side of it has been the high aggregate technical and commercial (AT&C) loss, says the state's economic survey report for 2016-17.

It says that the high AT&C loss was due to large scale rural electrification in Bihar. Against an AT&C loss of 59.24% in 2012-13, the same in 2015-16 had come down to 43.54%. which was still higher than the target stipulated by regulator-the Bihar Electricity Regulatory Commission.

The Centre under its Ujwal Discom Assurance Yojana (Uday). Which seeks to bring about an operational and financial turnaround of discome (distribution companies), has proposed reduction in AT&C loss to 15% and reduction in gap between average cost of supply and average revenue realised to zero, both by 2018-19.

Bihar, with 88.7% of its population living in rural areas (source : 2011 census), has done much on rural electrification. Against 1.06 lakh tolas, the power firm has been able to electrify 75,000 - plus in the state. The remaining 30% work is expected to be complete before the December 2018 deadline of chief minister to make power available to every household.

Transmission issues, however, continue to stymie the progress of power sector in north Bihar. Bettiah, Motihari, Gopalganj. Siwan, Chapra, parts of Vaishali, Gopalganj and Sitamarhi face a cumulative shortfall of 250-300 MW power because of transmission constraint. With 400 kV super grids coming up in Darbhanga and Motihari, the power firm would be able to tide over the crisis soon.

As per the generation plan. additional capacity of 5,589 MW/will be added by 2018-19 and Bihar's total available capacity was expected to be 8,925 MW, making it a power surplus state.

POWER PROGRESS : • Bihar's power availability was 2831 MW in 2014-15. This increased to 3769 MW in October 2016-a 33% increase in two years • Additional capacity of 5589 MW will be added to the state's power availability of 3336 MW. making it power surplus by 2018-19 • Bihar's generation and power purchase increased from 11,966 million units in 2011-12 to 21,677MU in 2015-16 • AT&C loss due to large scale rural electrification, was as high as 59.24% in 2012-13 but had come down to 43.54% in 2015-16 • Bihar, with 88.7% of its population living in rural areas (2011 census), remains the most ruralised state in India.

(Source : H. T., 24.2.2017)

चैम्बर के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण गोलवारा एवं श्री श्री नारायण खेतान का निधन

गोपी कृष्ण गोलवारा

श्री नारायण खेतान

सदस्यों को सूचित करते हुए दु:ख हो रहा है कि चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नारायण खेतान, वरीय अधिवक्ता (टैक्सेशन) का निधन दिनांक 1 फरवरी 2017 को हो गया है एवं चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण गोलवारा का निधन दिनांक 12 फरवरी, 2017 को हो गया है।

स्व० गोपी कृष्ण गोलवारा की फर्म मे० गंगा प्रसाद जगरनाथ प्रसाद, मछरहटा, पटना सिटी ने दिनांक 12 मार्च 1944 को चैम्बर की सदस्यता ग्रहण की थी। स्व० गोलवारा सत्र 1980-81 में चैम्बर के कोषाध्यक्ष एवं सत्र 1998-99 में उपाध्यक्ष के पदों को सुशोभित कर चुके थे। स्व० गोलवारा चैम्बर के अतिरिक्त कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे।

स्व० श्री नारायण खेतान ने दिनांक 10 अगस्त, 1970 को चैम्बर की सदस्यता ग्रहण की थी। स्व० खेतान वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में चैम्बर के कोषाध्यक्ष एवं 1984-85 एवं 1985-86 में उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुके थे। स्व० खेतान भी चैम्बर के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि स्व० गोपी कृष्ण गोलवारा एवं स्व० श्री नारायण खेतान ने अपने-अपने कार्यकाल में चैम्बर और व्यवसायियों के हितार्थ कई महत्वपूर्ण कार्य किये थे। जिसे सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।

चैम्बर अध्यक्ष ने उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि उन दिवंगत आत्माओं को चिर स्थायी शांति एवं उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form -IV
(See Rule -8)

1.	Place of Publication	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001
2.	Periodicity of its publication	Monthly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (if foreigner, State the Country of Origin) Addrss	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If Foreigner, State the Country of Origin) Address	Shri Shashi Mohan Indian M/s Shree Narayani Sales Corporation, 170C, Sri Krishnapuri, Patna-800 001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders	Bihar Chamber of Commerce & Industries Khem Chand Chaudhary Marg Patna-800 001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the nest of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव में 134.4 करोड़ का नया प्रोजेक्ट, पर्यावरण संरक्षण पर जोर

कलेक्ट्रेट से बांसघाट तक का क्षेत्र होगा इको फ्रेंडली

स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव में 134.4 करोड़ के नए प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। इनके शामिल होने से अनुमानित राशि बढ़कर 2558.40 करोड़ रुपये की हो गई है।

स्मार्ट सिटी के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव की समीक्षा के लिए 24.2.2017 को कमिश्नरी कार्यालय में आयुक्त आनंद किशोर ने बैठक की। इसमें क्षेत्र आधारित विकास में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। कलेक्ट्रेट घाट से बांस घाट तक कुल 1.5 किलोमीटर में हरित क्षेत्र का विकास किया जाएगा। यह पूरा इलाका इको फ्रेंडली होगा। अलग-अलग किस्म के पौधे लगाए जाएंगे।

प्रस्ताव की समीक्षा : • ई रिक्शा और ई बस से स्मार्ट सिटी में सफर करेंगे पटनावासी • स्मार्ट सिटी फंड से 200 ई-रिक्शा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

संशोधित लागत : • क्षेत्र आधारित विकास क्षेत्र के लिए 2331.16 करोड़ • पैन सिटी के लिए अनुमानित व्यय राशि 227.24 करोड़ रुपये

20 एकड़ में दिखेगा बौद्ध, जैन, सिख और सूफी सर्किट : लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में वीर कुंवर सिंह पार्क में बौद्ध, जैन, सूफी और सिख सर्किट से जुड़े धरोहरों का प्रदर्शन किया जाएगा। पटना शहर की धार्मिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से आम जनता और युवाओं को अवगत कराया जाएगा। इसे हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित करने की योजना पर समीक्षा की गई। अनेक सरकारी और निजी संस्थानों से एमओयू के लिए चर्चा की गई।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 25.2.2017)

जमीन के नए रेट पर मंथन शुरू

एमवीआर पर चर्चा को जुटे अवर निबंधक

सूबे में जमीन की नई मार्केट वैल्यू रेट (एमवीआर) तय करने की कवायद शुरू कर दी गई है। नए एमवीआर में वैसे क्षेत्रों का सर्किल रेट बढ़ाया जा सकता है, जहाँ ऊंची कीमत पर जमीन की खरीद-ब्रिकी की जा रही है। साथ ही जिस क्षेत्र की कीमत चरम पर पहुँच चुकी है, वहाँ का सर्किल रेट में कमी करने पर भी विचार चल रहा है। निबंधन महानिरीक्षक की अध्यक्षता में हुई बैठक में सूबे के सभी निबंधन कार्यालयों के अवर निबंधक मौजूद रहे।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 25.2.2017)

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary